

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915

(द्विभाषी संस्करण / Diglot Edition)

CHHATTISGARH EXCISE ACT, 1915

(As Amended by Act. No. 8 of 2011 Date 30.04.2011)

“NOT FOR SALE - ONLY FOR OFFICIAL USE”

– संकलनकर्ता –

दुर्गासिंह ठाकुर

सहायक जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

विशेष सहयोग :- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आबकारी विभाग छत्तीसगढ़, **श्री समुद्र सिंह**,
अपर आबकारी आयुक्त, **श्री पी.एल. वर्मा**,
उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर, संभाग रायपुर, **श्री संजय पारीक** एवं
सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-दुर्ग, **श्री एल.एल. ध्रुव**
जिनकी प्रेरणा, विशेष मार्गदर्शन एवं सहयोग से इस पुस्तक का संकलन कर प्रस्तुत करने
का एक छोटा प्रयास किया गया है, जिसके लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा ।

टीप:- इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 को आज दिनांक तक यथासंशोधित रूप में सही प्रस्तुत करने का एक छोटा प्रयास किया गया है । फिर भी किसी लिपिकीय/अनजान त्रुटि या लोप से किसी को भी हुई क्षति के लिए संकलनकर्ता उत्तरदायी नहीं है। आपके सुझावों का स्वागत है।

— संकलनकर्ता —

दुर्गासिंह ठाकुर

सहायक जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

(वर्ष - 2013)

HE WHO

!

SEEKS

!

EQUITY

!

MUST

!

DO EQUITY

!

FIRST !

अध्याय – 1 प्रारम्भिक

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915

(द्विभाषी संस्करण / Diglot Edition)

1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ	01
2.	परिभाषाएं	01
3.	{* * *}	03
4.	क्रमशः कौन सी मदिरा "देशी मदिरा" और "विदेशी मदिरा" समझी जाएगी यह घोषित करने की शक्ति	03
5.	फुटकर तथा थोक विक्रय की परिभाषा	03
6.	अधिनियम की व्यावृत्ति	03

अध्याय 2 स्थापना तथा नियंत्रण

7.	स्थापना तथा उसकी शक्तियां	04
7-क	उड़नदस्तों की स्थापना)	04

अध्याय 3 आयात निर्यात और परिवहन

8.	आयात, निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध करने की शक्ति	05
9.	आयात, निर्यात या परिवहन पर निर्बन्धन	05
10.	आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास की आवश्यकता	05
11.	आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास	05
12.	अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए पास इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए समझे जाएंगे	05

अध्याय 4 विनिर्माण, कब्जा तथा विक्रय

13.	मादक द्रव्यों के विनिर्माण इत्यादि के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति	06
14.	आसवनियों तथा भण्डागारों की स्थापना या उनका अनुज्ञापन	06
15.	आसवनी, मद्य निर्माण-शाला या संग्रहण के स्थान से हटाए जाने पर शुल्क का संदाय	06
16.	मादक द्रव्यों का साधारणतः कब्जा	07
17.	मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित होगी	07
18.	विनिर्माण, इत्यादि के अधिकार के पट्टे का अनुदान करने की शक्ति	08
18-क.	निर्माण विक्रय आदि का एकाधिकार प्रदान करना	08
19.	ताड़ी निकालने हेतु पट्टेदार की अनुज्ञा	08
20.	सैनिक छावनियों में मदिरा का विनिर्माण और विक्रय	08
21.	माप तथा परीक्षण के बारे में अनुज्ञप्तिधारियों के कर्तव्य	08
22.	इक्कीस वर्ष से कम आयु के पुरुषों और स्त्रियों के नियोजन का प्रतिषेध	09
23.	इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा या मादक या औषधि के विक्रय का प्रतिषेध	09
23-क	मदिरा से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध	09
24.	लोक शान्ति के लिए दुकानों का बंद किया जाना	11

अध्याय 5 शुल्क तथा फीस

25.	आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क	11
26.	ऐसे शुल्क के उद्ग्रहण की रीति	13
27.	पट्टे की मंजूरी के लिए संदाय	14
27-क.	संविधान के प्रारंभ होने पर उद्गृहीत किए जाने वाले शुल्कों के लिए व्यावृत्ति	14

अध्याय 6 अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र तथा पास

28.	अनुज्ञप्ति आदि के प्रारूप और शर्तें	14
28-क.	पर्यवेक्षण प्रभागों का संदाय	15
29.	अनुज्ञप्तिधारी से प्रतिभूति लेने की शक्ति	15
30.	तकनीकी त्रुटियां, अनियमितताएं तथा लोप	15
31.	अनुज्ञप्ति, आदि रद्द या निलंबित करने की शक्ति	15

32.	अनुज्ञप्तियां वापस लिए जाने की शक्ति	17
33.	अनुज्ञप्तियों का अभ्यर्पण	17
33-क.	{* * *}	17

अध्याय 7 अपराध और शास्तियाँ

34	विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति	17
35.	किसी विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मित को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए शास्ति	19
36.	अवैध कब्जे के लिए शास्ति	19
36-क	किसी स्थान को सामान्य मदिरा पान-गृह के रूप में खोलने, रखने या उपयोग में लाने के लिए या किसी भी ऐसे स्थान के देख-रेख उसका प्रबंध या नियंत्रण रखने के लिए या ऐसे किसी स्थान के कारोबार का संचालन करने की सहायता करने के लिए शास्ति	20
36-ख	किसी सामान्य मदिरा पान-गृह में मत्त पाये जाने के लिए या मदिरा पान करने के प्रयोजन के लिए पाये जाने के लिए शास्ति	20
36-ग	किसी स्थान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध, जो धारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 36-क के अधीन दंडनीय है, किये जाने हेतु उपयोग में लाये जाने देने के लिए शास्ति	20
36-घ	धारा 34 या 36 के अधीन दंडनीय अपराधों को करने से प्रविरत रहने के लिए बंधपत्र का निष्पादन	21
36-ड.	मजिस्ट्रेट का किसी व्यक्ति को यह कारण बताने के लिए अपेक्षित करना कि सद्व्यवहार के लिए बंध-पत्र निष्पादित करने के लिए क्यों न आदिष्ट किया जाए	21
36-च	सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान के लिए शास्ति	21
37.	उन अपराधों के लिए शास्ति कि जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है	22
38.	अनुज्ञप्त विक्रेताओं के कतिपय विधि विरुद्ध कार्यों के लिए शास्ति	22
38-क	मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त विनिर्माता या विक्रेता पर ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि या कोई बाह्य संघटक या कोई मंदक या रंजक पदार्थ मिश्रित करने या मिश्रित करने देने के लिए शास्ति	23
39.	अनुज्ञप्तिधारियों आदि पर अवचार किये जाने के लिए शास्ति	23
40.	रसायन (केमिस्ट) आदि की दुकान में उपयोग करने की अनुज्ञा देने के लिए शास्ति	23
40-क.	अधिकारी आदि को बाधा पहुंचाना या उस पर हमला करने के लिए दण्ड	24
41.	किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा विनिर्माण विक्रय या कब्जा	24
42.	अपराध करने का प्रयत्न और अपराध का दुष्प्रेरण	24
43.	कतिपय मामलों में अपराध किए जाने के बारे में उपधारणा	24
44.	सेवकों के कार्य के लिए अनुज्ञप्तिधारी का अपराधिक दायित्व	24
45.	पूर्व दोषसिद्ध के पश्चात् वर्धित दण्ड	25
46.	कतिपय वस्तुओं का अधिहरण के दायित्वाधीन होना	25
47.	अधिहरण का आदेश	25
47-क	अभिगृहीत किए गए मादक-द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि का अधिहरण	26
47-ख.	अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील	27
47-ग	अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण	27
47-घ.	कतिपय परिस्थितियों के अधीन न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन	27
48.	अपराधों के शमन करने और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति	28
48-क.	आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए विशेष उपबंध	28
49.	तंग करने वाली तलाशी, अभिग्रहण, निरोध या गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों पर शास्ति	28

अध्याय 7- 'क' जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति

49-क. मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा के आयात आदि के लिए या विकृत स्फिरिटयुक्त निर्मित को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयास करने के लिए दण्ड 29

49-ख. { * * * } 30

अध्याय 8 अपराधों का पता लगाना, अन्वेषण तथा विचारण

50. भू-धारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा इत्तिला का दिया जाना 30

51. विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति 30

52. वारंट के बिना गिरफ्तारी करने, अधिहरण के लिए दायी वस्तु का अभिग्रहण करने तथा तलाशी लेने की शक्ति 30

53. वारंट जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति 31

54. वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति 31

54-क. बाधा पहुंचाने या हमला करने के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी 32

55. अन्वेषण के विषय में आबकारी अधिकारियों की शक्ति 32

56. अन्वेषण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट 32

57. आबकारी अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट 33

57-क. पुलिस अभिगृहीत वस्तुओं को प्रभार से लेगी 33

58. गिरफ्तारियों, तलाशियों, आदि किस प्रकार की जाएगी 33

59. वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामलों में उपसंजाति के लिए प्रतिभूति 33

59-क. अधिनियम के अधीन कतिपय अपराध अजमानतीय होंगे 34

60. { * * * } 34

61. अभियोजनों का निर्बन्धन 35

61-क. राज साक्षी हो जाने पर अभियुक्त को क्षमादान 35

अध्याय 8-क अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध

61-ख. परिभाषाएं 35

61-ग. कार्यक्षेत्र तथा विस्तार 35

61-घ. अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिनियम के कतिपय उपबंधों से छूट 36

61-ड. मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिषिद्ध करने की ग्राम पंचायत की शक्ति 36

61-च. ग्राम सभा के विनिश्चयों का प्रवर्तन 37

अध्याय 9 प्रकीर्ण

62. नियम बनाने की शक्ति 37

63. नियमों तथा अधिसूचनाओं का प्रकाशन 39

64. सरकारी शोध्यों की वसूली 39

65. व्यतिक्रमियों की संपत्ति पर सरकार का धारणाधिकार 39

66. व्यक्तियों या मादक द्रव्यों को अधिनियम के उपबंध से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति 39

67. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण 40

68. वादों की परिसीमा 40

69. अधिनियमितियों का निरसन 40

प्रथम अनुसूची 40

द्वितीय अनुसूची 40

छत्तीसगढ़* आबकारी अधिनियम, 1915
[(छत्तीसगढ़) अधिनियम क्रमांक II सन् 1915]

[10th April, 1915]

छत्तीसगढ़ में आबकारी विधि को समेकित तथा संशोधित करने हेतु अधिनियम।

उद्देशिका :- यतः यह समीचीन है, कि छत्तीसगढ़ में मादक मदिरा तथा मादक औषधि के आयात, निर्यात परिवहन, विनिर्माण, वि क्रय और कब्जे में रखने से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित किया जाए और यतः इस अधिनियम को पारित किए जाने हेतु इंडियन कौन्सिल एक्ट, 1892 (55 तथा 56 विक्टोरी-14), की धाराओं के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार गवर्नर की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त कर ली गई है।

अतः एतद्वारा यह निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है :-

अध्याय — 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ —

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915** है।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है और यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं — इस अधिनियम में जब विषय या संदर्भ में कोई बात इसके विरुद्ध न हो —

- (1) **“बीयर”** में एल., स्टाउट, पोर्टर तथा ऐसी अन्य समस्त किण्वित मदिराएं सम्मिलित हैं जो साधारणतया माल्ट से बनी है,
- (2) **“बोतल भरना”** से अभिप्रेत है विक्रय के प्रयोजन के लिए मदिरा को मंजूषा (Cask) या अन्य बर्तन में से किसी बोतल, घड़े, कुप्पी या अन्य समरूप पात्र में अन्तरित करना और बोतल भरने के अन्तर्गत है बोतल का पुनः भरा जाना,
- (3) **“मुख्य राजस्व प्राधिकारी”** से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मुख्य राजस्व प्राधिकारी घोषित किया गया हो,
- (4) **“सामान्य मदिरा पान गृह”** से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान जहाँ मदिरा पान, ऐसे स्थान का स्वामित्व रखने वाले या उपयोग करने वाले या उसे रखने वाले या उसकी देखभाल या उसका प्रबंध या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के लाभ या प्राप्ति के लिए अनुज्ञात किया गया है चाहे वह उस स्थान के उपयोग के लिए प्रभार के रूप में हो या दी गई मद्यपान की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए हो या अन्यथा किसी भी रूप में हो;
- (5) **“विप्रकृत”(डिनेचर्ड)** से अभिप्रेत है मानवीय उपयोग के लिए ऐसी रीति से अनुपयुक्त किया जाना जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाए,

* छत्तीसगढ़ राज्य में यह संपूर्ण अधिनियम 'मध्यप्रदेश' के स्थान में 'छत्तीसगढ़' प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक एफ-1-20-2000/आब./पांच, दिनांक 05 दिसम्बर 2000

(6) "आबकारी करयोग्य वस्तु" से अभिप्रेत है -

(क) मानवीय उपयोग के लिए कोई भी अल्कोहलीय मदिरा या

(ख) कोई भी मादक औषधि, ¹{या}

²{(ग) मादक द्रव्य या मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 61) की धारा 2 के खण्ड (पंद्रह) में यथा परिभाषित अफीम और उसके खण्ड (अट्टारह) में परिभाषित पापीस्ट्रा,]

(6-क) "आबकारी शुल्क" तथा "प्रति-शुल्क" से अभिप्रेत है यथास्थिति कोई भी ऐसा आबकारी शुल्क या प्रति-शुल्क, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो की प्रविष्टि 51 में वर्णित है,

(7) "आबकारी अधिकारी" से अभिप्रेत है कलेक्टर या कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो धारा 7 के अधीन नियुक्त है या जिसमें उक्त धारा के अधीन शक्तियां विनिहित हैं,

³{(8) "आबकारी राजस्व" से अभिप्रेत है वह राजस्व जो इस अधिनियम के या मदिरा अथवा मादक औषधियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अधिरोपित किए गए आदेशित किए गए या तय पाए गए ³{किसी शुल्क, फीस, कर, शास्ति, संदाय] (किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए गए जुर्माने को छोड़कर) या अधिहरण से व्युत्पन्न होता हो या व्युत्पन्न होने योग्य हो],

(9) "निर्यात" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा-शुल्क सीमांत के आर-पार से न होकर अन्यथा ⁴{राज्य} के बाहर ले जाना,

(10) {***}

(11) "आयात" (अभिव्यक्ति भारत में आयात को छोड़कर) से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा-शुल्क सीमांत के आर-पार न होकर अन्यथा ⁵{राज्य} के भीतर लाना,

(11-क) "मादक द्रव्य" से अभिप्रेत है कोई भी मदिरा या मादक औषधि,

(12) "मादक औषधि" से अभिप्रेत है-

(एक) भारतीय भांग पौधे (केनाबिस सेटाइवा एल) की पत्तियों, छोटे डंठलों और फूलों तथा फलने वाले सिरे और उसके अंतर्गत भांग, सीद्धी या गांजा के नाम से ज्ञात उसके समस्त रूप,

(दो) ⁶{***}

(तीन) निष्प्रभावी पदार्थ सहित या रहित मादक औषधी के उपर्युक्त रूपों में से किसी भी रूप का मिश्रण या उससे तैयार किया गया कोई पेय, और

⁷{(चार) कोई ऐसी अन्य मादक या स्वापक वस्तु, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मादक औषधि घोषित करे, जो नारकोटिक ड्रग्स एण्ड सायकोट्रापिक सबस्टेन्सेस एक्ट, 1985 (1985 का संख्या 61) में यथापरिभाषित स्वापक औषधि न हो।

1. अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1986 द्वारा जोड़ा गया ।
2. अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1986 द्वारा अंतः स्थापित ।
3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. अधिनियम क्रमांक 39 सन् 1982 द्वारा अंतः स्थापित ।
5. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1958 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1986 द्वारा विलुप्त ।
7. अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1986 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(13) "मदिरा" से अभिप्रेत है मादक मदिरा और उसके अंतर्गत है मद्यसार (स्पिरिट ऑफ वाइन), स्पिरिट, मद्य, ताड़ी, बीयर, ऐसे समस्त तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हैं या जिनमें अल्कोहल है और कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मदिरा घोषित करे, आता हो,

(14) "विनिर्माण" के अंतर्गत है ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया चाहे वह नैसर्गिक हो या कृत्रिम जिसके द्वारा कोई भी मादक द्रव्य उत्पन्न या तैयार किया जाता है और उसके अन्तर्गत पुनः आसवन करने तथा मदिरा को सम्मिश्रित करने या उसे रंग देने की प्रक्रिया भी आता है,

(15) "स्थान" के अंतर्गत है गृह, भवन, दुकान, बूथ, टेण्ट, अहाता, स्थल, जलयान, बेड़ा और यान, आते हैं,

(16) "विक्रय" को निर्दिष्ट करने वाली अभिव्यक्तियों के अंतर्गत है दान के रूप में न होकर अन्यथा किया गया कोई अन्तरण भी आता है,

(17) "स्पिरिट" से अभिप्रेत है कोई भी अल्कोहल युक्त मदिरा जो आसवन द्वारा अभिप्राप्त होती है, चाहे वह विप्रकृत है या नहीं,

(18) "ताड़ी" से अभिप्रेत है किसी जाति के ताड़ के वृक्ष से निकाला गया रस किण्वित या अकिण्वित, और

(19) "परिवहन" से अभिप्रेत है राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना।

3. { * * }

4. क्रमशः कौन सी मदिरा "देशी मदिरा" और "विदेशी मदिरा" समझी जाएगी यह घोषित करने की शक्ति— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए कौन सी मदिरा क्रमशः "देशी मदिरा" या "विदेशी मदिरा" समझी जाएगी।

5. फुटकर तथा थोक विक्रय की परिभाषा—

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या तो सम्पूर्ण {राज्य} किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के संबंध में तथा साधारणतया क्रेताओं या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के क्रेताओं के संबंध में यह घोषित कर सकेगी कि किसी मादक द्रव्य का कितना परिमाण फुटकर विक्रय में आएगा।

(2) किसी मादक द्रव्य का उप-धारा (1) के अधीन उसके संबंध में घोषित मात्रा से अधिक किसी भी मात्रा में विक्रय थोक विक्रय समझा जाएगा।

6. अधिनियम की व्यावृत्ति— इस अधिनियम की कोई भी बात सागर सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का सं. 8) या इंडियन टेरिफ एक्ट, 1894 का सं. 8 उसकी धारा 6 को छोड़कर) या केन्टूमेन्ट एक्ट, 1910 (1910 का सं. 15) या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या आदेश को प्रभावित नहीं करेगी।

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1958 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्थापना तथा नियंत्रण

7. स्थापना तथा उसकी शक्तियां – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा संपूर्ण (राज्य) या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग के लिए –

(क) एक अधिकारी, जो इसमें इसके पश्चात् आबकारी आयुक्त के नाम से निर्दिष्ट है नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसे नियन्त्रण (यदि कोई है) के अध्यक्षीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार निर्देश दे आबकारी विभाग के प्रशासन और आबकारी राजस्व के संग्रहण का अधीक्षण करेगा,

(ख) कलेक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर को प्रदत्त समस्त या किन्हीं शक्तियों का या उस पर अधिरोपित समस्त या किन्हीं कर्तव्यों का या कलेक्टर के साथ – साथ या उसके अधीन रह कर या अनन्यतः प्रयोग तथा पालन ऐसे नियंत्रण के अध्यक्षीन रहते हुए करने के लिए नियुक्त कर सकेगी जैसा राज्य सरकार निर्देश दे,

(ग) आबकारी विभाग के ऐसे वर्गों के अधिकारियों को और ऐसे पदाभिदानों, शक्तियों और कर्तव्यों के साथ नियुक्त कर सकेगी, जैसा राज्य सरकार उचित समझे,

(घ) यह आदेशित कर सकेगी कि खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन समनुदेशित समस्त या किन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों का किसी भी सरकारी सेवक या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग तथा पालन किया जाएगा।

(ङ.) मुख्य राजस्व प्राधिकारी या आबकारी आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन उसकी समस्त या किन्हीं भी शक्तियों को, सिवाय धारा 62 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगी,

(च) किसी भी अधिकारी या व्यक्ति से, इस अधिनियम के अधीन उसकी समस्त या किन्हीं भी शक्तियों को प्रत्याहरण कर सकेगी, और

(छ) मुख्य राजस्व प्राधिकारी, आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों या अधिरोपित कर्तव्यों का या आबकारी राजस्व के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई या निर्वहन की गई शक्तियों या कर्तव्यों का प्रत्यायोजन करना अनुज्ञात कर सकेगी।

1(7-क उड़नदस्तों की स्थापना) – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा आबकारी राजस्व के अभिकथित या संदिग्ध अपवंचन के किसी भी मामले का या इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के अभिकथित या संदिग्ध उल्लंघन के किसी भी मामले का अन्वेषण करने के लिए उड़नदस्तों की स्थापना कर सकेगी और उस अधिसूचना में उस क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करेगी जिस पर कि उड़नदस्ता अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन स्थापित किए गए उड़नदस्ते में आबकारी अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार, समय-समय पर, उसके लिए नियुक्त करे, सम्मिलित होंगे।

(3) उड़नदस्ते के लिए नियुक्त किए गए आबकारी अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कि धारा 7 के अधीन प्रदत्त या अधिरोपित किए जाए। }

1. आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1979 (क्र. 23 सन् 1979) द्वारा अन्तः स्थापित।

अध्याय 3

आयात निर्यात और परिवहन

8. आयात, निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध करने की शक्ति – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा—

¹{(क) राज्य भर में या उसके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, किसी भी मादक द्रव्य के आयात या निर्यात का प्रतिषेध कर सकेगी,

(ख) किसी भी मादक द्रव्य के परिवहन का प्रतिषेध कर सकेगी,

²{ (ग) } महुआ ³{ बेसिया लेटिफोलिया और बेसिया लॉगिफोलिया } या कोई अन्य आधार, जो मदिरा के विनिर्माण के लिए उपयोगी है या जो उपयोगी हो सकता है, के प्रभावी नियंत्रण के लिए यथोचित उपबंध कर सकेगी।

9. आयात, निर्यात या परिवहन पर निर्बन्धन – राज्य सरकार की मंजूरी के बिना निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी मादक— द्रव्य का आयात, निर्यात या परिवहन नहीं किया जाएगा—

(क) ऐसे किसी भी शुल्क का, जिसके लिए वह अधिनियम के अधीन दायी है, संदाय करने के पश्चात् या ऐसे संदाय के लिए बंध पत्र निष्पादित करने के पश्चात् और

(ख) ऐसी शर्तों का अनुपालन किए जाने पर जो राज्य सरकार अधिरोपित करे।

10. आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास की आवश्यकता – किसी भी मादक द्रव्य का ऐसे परिमाण से अधिक परिमाण में, जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, या तो सामान्यतः या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए विहित करे, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए या जारी किए गए समझे गये पास से ही आयात, निर्यात या परिवहन किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

⁴{* * * }

11. आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास— (1) मादक द्रव्यों के आयात, निर्यात तथा परिवहन के लिए पास कलेक्टर द्वारा प्रदान किए जा सकेंगे,

परन्तु ऐसे मादक द्रव्यों के जिन्हें कि आबकारी आयुक्त समय-समय पर अवधारित करे आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास केवल आबकारी आयुक्त द्वारा मंजूर किये जावेंगे।

(2) ऐसे पास या तो निश्चित कालावधि के लिए और मादक द्रव्यों की किस्मों के लिए सामान्य हो सकेंगे या विनिर्दिष्ट अवसरों और केवल विशिष्ट परेषणों के लिए विशेष हो सकेंगे।

12. अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए पास इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए समझे जाएंगे – आबकारी आयुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों (यदि कोई है) के अधीन रहते हुए जैसी वह अधिरोपित करे, यह निर्देश दे सकेगा कि भारत के किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पास इस अधिनियम के अधीन किसी भी उद्देश्य के लिए पास समझा जाएगा।

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1979 द्वारा अन्तः स्थापित ।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1958 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1958 द्वारा जोड़ा गया ।
4. अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2000 द्वारा विलुप्त, प्रयोज्य तिथि 04.08.2000 ।

धारा—13

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

अध्याय 4

विनिर्माण, कब्जा तथा विक्रय

13. मादक द्रव्यों के विनिर्माण इत्यादि के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति— प्राधिकार के अधीन तथा उस निमित्त प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन के सिवाय—

(क) कोई भी मादक द्रव्य विनिर्मित या संगृहीत नहीं किया जाएगा,

(ख) भांग के किसी पौधे (हेम्प प्लान्ट) की खेती नहीं की जाएगी,

- (ग) किसी भी ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्ष से ताड़ी का न तो छिद्रित किया जाएगा और नहीं किसी वृक्ष से ताड़ी निकाली जाएगी,
- (घ) कोई भी मदिरा विक्रय के लिए बोतलों में नहीं भरी जाएगी,
- (ङ.) कोई भी आसवनी या मद्य निर्माणशाला का न तो सन्निर्माण किया जाएगा और न ही उसे चलाया जाएगा,
- (च) कोई भी व्यक्ति, ताड़ी से भिन्न किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए किन्हीं सामग्रियों का किसी भभके, पात्र उपकरण या साधित्र का न तो उपयोग करेगा और न ही उसे अपने पास या अपने कब्जे में रखेगा अन्यथा नहीं,

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि इस धारा के उपबंध ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी वह विहित करे, ऐसे क्षेत्रों में, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्षों को छिद्रित किए जाने या ताड़ी निकाले जाने को लागू नहीं होंगे।

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि इस धारा के उपबंध ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी वह विहित करे, ऐसे क्षेत्रों में जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, घरेलू उपयोग के लिए मदिरा के विनिर्माण किए जाने को लागू नहीं होंगे।

14. आसवनियों तथा भण्डागारों की स्थापना या उनका अनुज्ञापन— आबकारी आयुक्त —

- (क) ऐसी शर्तों पर, जैसी राज्य सरकार अधिरोपित करे, धारा 13 के अधीन प्रदान की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन किसी ऐसी आसवनी को स्थापित कर सकेगा जिसमें विनिर्मित की जा सकती है,
- (ख) किसी भी ऐसी आसवनी को बंद कर सकेगा,
- (ग) ऐसी शर्तों पर, जैसी राज्य सरकार अधिरोपित करे, आसवनी या मद्य निर्माण— शाला का संनिर्माण करने या उसे चलाए जाने की अनुज्ञप्ति दे सकेगा,
- (घ) किसी भण्डागार की स्थापना कर सकेगा या उसके लिए अनुज्ञप्ति दे सकेगा, जिसमें किसी मादक द्रव्य को शुल्क के संदाय के बिना किन्तु ऐसी फीस के संदाय के अधीन, जैसी राज्य सरकार निर्देशित करे, निक्षेप किया जा सकेगा, और
- (ङ.) किसी ऐसे भण्डागार को बंद कर सकेगा।

15. आसवनी, मद्य निर्माण—शाला या संग्रहण के स्थान से हटाए जाने पर शुल्क का संदाय — राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी मादक द्रव्य को इस अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त किसी आसवनी, मद्य निर्माण—शाला, भण्डागार या संग्रहण के अन्य स्थान से तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक अध्याय 5 के अधीन देय शुल्क (यदि कोई है) संदत्त न कर दिया जाए या उसके संदाय के लिए एक बंधपत्र निष्पादित न कर दिया जाए।

धारा—16

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

16. मादक द्रव्यों का साधारणतः कब्जा —

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी मादक द्रव्य के कब्जे के लिए परिमाण की परिसीमा विहित कर सकेगी।

परन्तु उसी वस्तु की भिन्न—भिन्न क्वालिटी के लिए भिन्न—भिन्न परिसीमाएं विहित की जा सकेंगी।

(2) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन विहित परिसीमा से अधिक किसी भी परिमाण के किसी मादक द्रव्य को निम्नलिखित के प्राधिकार के अधीन तथा उसके निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार अपने कब्जे में रख सकेगा, अन्यथा नहीं —

(क) ऐसे मादक द्रव्य के विनिर्माण, खेती, संग्रहण, विक्रय या प्रदाय के लिए अनुज्ञप्ति, या

(ख) ऐसे मादक द्रव्य के आयात, निर्यात, या परिवहन के लिए पास, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए अनुज्ञा-पत्र।

(3) उपधारा (2) के किसी भी ऐसी विदेशी मदिरा को लागू नहीं होगी –

(क) जो किसी सामान्य वाहक या भण्डागार पाल, जैसी भी दशा हो, के कब्जे में हो।

(ख) ¹{***}

(4) पूर्वागामी उपधाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा चाहे (राज्य) में या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा किसी मादक द्रव्य को कब्जे में रखे जाने का प्रतिषेध पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेगी जैसी वह विहित करे।

17. मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित होगी – (1) किसी भी मादक द्रव्य का विक्रय उस निमित्त प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के प्राधिकार और निबंधनों तथा शर्तों के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु –

(क) किसी भी वृक्ष से निकाली गई ताड़ी पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति, ऐसी ताड़ी, अनुज्ञप्ति के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को बेच सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन ताड़ी का विनिर्माण या विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्त है,

(ख) भांग के पौधे (हेम्प प्लाण्ट) की खेती करने के लिए धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्ति, पौधे के उन भागों का, जिनसे मादक औषधि का विनिर्माण किया जाता है, या उसका उत्पादन किया जाता है इस अधिनियम के अधीन उनका व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति को, या किसी भी ऐसे अधिकारी को, जिसे आबकारी आयुक्त विहित करे, अनुज्ञप्ति के बिना विक्रय कर सकेगा, और

(ग) इस धारा में की गई कोई भी बात किसी भी विदेशी मदिरा के विक्रय में लागू नहीं होगी जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने प्राइवेट उपयोग के लिए विधिपूर्वक उपाप्त की गई है और उसके द्वारा उसका विक्रय किया गया है और उसके द्वारा किसी स्थान को छोड़ने पर या उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधियों की ओर से विक्रय किया गया है।

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1985 द्वारा विलुप्त।

धारा-17(2)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

(2) ऐसी शर्तों पर, जैसी आबकारी आयुक्त अवधारित करे, अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में तत्समय प्रवृत्त आबकारी विधि के अधीन विक्रय की कोई अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के अधीन उस निमित्त प्रदान की गई अनुज्ञप्ति समझी जाएगी।

18. विनिर्माण, इत्यादि के अधिकार के पट्टे का अनुदान करने की शक्ति – (1) राज्य सरकार ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी कालावधि के लिए, जैसा वह उचित समझे, किसी भी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भी ¹{***} मदिरा या मादक औषधि का –

(क) विनिर्माण करने का, या थोक में प्रदाय करने या दोनों का, या

(ख) थोक या फुटकर में विक्रय करने का, या

(ग) विनिर्माण करने का या थोक में प्रदाय करने का, या दोनों का तथा फुटकर में विक्रय करने का, अधिकार किसी भी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकेगी।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी पट्टेदार को उसके पट्टे के निर्बंधनों के अनुसार कोई अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा और जब अनुज्ञप्ति में कोई भी ऐसी शर्त नहीं है, जो उप-पट्टे पर देने का प्रतिषेध करती है, तब ऐसे पट्टेदार के आवेदन पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उप-पट्टेदार को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा।

²{18-क. निर्माण विक्रय आदि का एकाधिकार प्रदान करना - (1) अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावशील रहते हुए राज्य शासन द्वारा एकाधिकार, राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रित निगम छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में भारत निर्मित विदेशी मदिरा के फुटकर या थोक विक्रय हेतु सौंपा जा सकेगा)

(2) उस पर, आबकारी, आयुक्त उपरोक्त प्रयोजन हेतु शासन द्वारा, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड को आवश्यक लायसेन्स स्वीकृत कर सकेंगे।

(3) ऐसा लायसेन्स प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड अपनी शाखाएं/गोदाम उन स्थानों पर तथा उन शर्तों के अनुसार जैसी कि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, खोलेगा।}

19. ताड़ी निकालने हेतु पट्टेदार की अनुज्ञा - जहाँ धारा 18 के अधीन ताड़ी के विनिर्माण के अधिकार का पट्टा दिया गया है, वहाँ राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि पट्टेदार की ताड़ी निकालने की लिखित अनुज्ञा का वही बल और प्रभाव होगा, जो उस प्रयोजन के लिए कलेक्टर की अनुज्ञप्ति का होता है।

20. सैनिक छावनियों में मदिरा का विनिर्माण और विक्रय - किसी भी सैनिक छावनी की सीमाओं के भीतर तथा उन सीमाओं से ऐसी दूरी के भीतर जैसा केन्द्र सरकार किसी मामले में विहित करे मदिरा के फुटकर विक्रय के लिए कोई भी अनुज्ञप्ति कमान अधिकारी की जानकारी तथा सम्मति से ही प्रदान की जाएगी, अन्यथा नहीं।

21. माप तथा परीक्षण के बारे में अनुज्ञप्तिधारियों के कर्तव्य- प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधीन किसी भी मादक द्रव्य का विनिर्माण या विक्रय करता है, इस बात के लिए आबद्ध होगा कि -

1. संशोधन अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1964 द्वारा विलुप्त।

2. छ.ग. आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र.11 सन् 2000) द्वारा अन्तः स्थापित, प्रयोज्य तिथि 23.04.2002

धारा-21(क)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

(क) वह स्वयं के ऐसे माप, तौल और उपकरणों की व्यवस्था कर ले जैसा आबकारी आयुक्त विहित करे और उन्हें अनुज्ञात परिसरों पर अच्छी दशा में रखें, और

(ख) उस निमित्त सम्यक् रूप से किसी आबकारी अधिकारी की अध्यक्षता पर किसी भी समय अपने कब्जे में के किन्हीं भी मादक द्रव्यों का, ऐसी रीति में जैसा उक्त आबकारी अधिकारी अपेक्षित करे माप, तौल या परीक्षण करे।

¹{22. इक्कीस वर्ष से कम आयु के पुरुषों और स्त्रियों के नियोजन का प्रतिषेध –कोई भी व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का अपने परिसरों में उपयोग किया जाने के लिए, विक्रय करने के लिए अनुज्ञाप्त है, उन घंटों के दौरान, जिनमें ऐसा परिसर कारबार के लिए खुला रहता है, किसी पुरुष को जिसकी आयु इक्कीस वर्ष से कम हो, या किसी स्त्री को, या तो पारिश्रमिक पर या पारिश्रमिक के बिना ऐसे परिसर के किसी ऐसे भाग में जिसमें लोगों द्वारा ऐसे मादक द्रव्यों का उपभोग किया जाता है, नियोजित नहीं करेगा, या नियोजित किये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। }

²{23. इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा या मादक या औषधि के विक्रय का प्रतिषेध– कोई भी व्यक्ति, जो मादक द्रव्यों का विक्रय करने के लिए अनुज्ञाप्त है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसकी आयु प्रकट रूप से इक्कीस वर्ष से कम हो, चाहे ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किये जाने के लिए या चाहे ऐसे विक्रेता के परिसर में या उसके बाहर उपयोग के लिए किसी मदिरा या मादक औषधि का विक्रय नहीं करेगा और न उसके परिदान करेगा। }

³{23.–क मदिरा से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध – (1) इस धारा में, “विज्ञापनों” में सम्मिलित हैं

(ए) कोई सूचना परिपत्र, आवेदन (रेपर) या कोई अन्य दस्तावेज,

(बी) कोई ऐसा आख्यापन जो मौखिक रूप से किया गया हो या प्रकाश/ध्वनि या धूम उत्पादित करने या पारेषित करने के किसी साधन द्वारा किया गया है,

(सी) कोई प्रदर्शन जो छत्तीसगढ़ सिनेमा (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1952 (क्रमांक 17 सन् 1952) के अधीन अनुज्ञाप्त किसी सिनेमा में या मनोरंजन के किसी अन्य स्थान में पर्दे पर प्रदर्शित चलचित्र (स्लाइड) या फिल्म के द्वारा किया गया हो।

(2) जो कोई समाचार पत्र, पुस्तक पर्णिका पुस्तिका या किसी एकल या नियतकालिक प्रकाशन में कोई ऐसा विज्ञापन या कोई ऐसी अन्य सामाग्री, जिसमें कि किसी मदिरा की प्रशंसा की गई हो, उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया हो या कोई मदिरा देने का प्रस्ताव किया गया हो या जिससे कि किसी मदिरा की प्रशंसा की जाना, उसका उपयोग करने का आग्रह किया जाना या कोई मदिरा देने का प्रस्ताव किया जाना तात्पर्यित हो, मुद्रित या प्रकाशित करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित करवायेगा या अन्यथा संप्रदर्शित या वितरित करेगा अथवा संप्रदर्शित या वितरित करवायेगा, अथवा संप्रदर्शित या वितरित की जाने देगा, वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये कारावास से, जो **छह मास** तक का हो सकेगा, जो जुर्माने से, जो **दो हजार रुपये** तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

1. अधिनियम क्रमांक 39 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. अधिनियम क्रमांक 39 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1978 द्वारा अन्तः स्थापित ।

धारा-23 (क)(3)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

(3) उपधारा (4) में अन्यथा उपबंधित किये गये के सिवाय उपधारा (2) में की कोई भी बात—

(क) ऐसे सूची-पत्रों या, ऐसी मूल्य सूचियों को, जिन्हें कि छत्तीसगढ़ में के मदिरा विक्रय स्थानों में इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के अनुसार संप्रदर्शित किया जाना हो।

(ख) किसी ऐसे विज्ञापन या किसी ऐसी अन्य सामाग्री को, जो छत्तीसगढ़ के बाहर मुद्रित तथा प्रकाशित किसी समाचार-पत्र, पुस्तक, पर्णिका, पुस्तिका या अन्य प्रकाशन में अन्तर्विष्ट है।

(ग) किसी ऐसे विज्ञापन या किस ऐसी अन्य सामग्री को, जो कि किसी ऐसे समाचार पत्र में अन्तर्विष्ट है जिसे छत्तीसगढ़ में ऐसी तारीख के पूर्व, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, मुद्रित तथा प्रकाशित किया गया हो, और

(घ) किसी ऐसे अन्य विज्ञापन या किसी ऐसे अन्य सामग्री को, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस धारा के प्रवर्तन से साधारणतः या विशेषतः छूट दे, लागू नहीं होगी।

(4) उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार किसी ऐसे विज्ञापन या किसी ऐसी सामग्री, जिसमें कि किसी मदिरा की प्रशंसा की गई हो, उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया हो या कोई मदिरा देने का प्रस्ताव किया गया हो या जिसमें कि किसी मदिरा की प्रशंसा की जाना उसका उपयोग करने का आग्रह किया जाना या कोई मदिरा देने का प्रस्ताव किया जाना तात्पर्यित हो, से युक्त किसी ऐसे समाचार-पत्र, पुस्तक, पर्णिका, पुस्तिका या अन्य प्रकाशन के, जिसे कि राज्य के बाहर मुद्रित तथा प्रकाशित किया गया हो, परिचालन वितरण या विक्रय का अधिसूचना द्वारा राज्य के भीतर प्रतिषेध कर सकेगी, और जो कोई ऐसा समाचार-पत्र पुस्तक, पर्णिका, पुस्तिका या अन्य प्रकाशन को ऐसी अधिसूचना के उल्लंघन से परिचालित करेगा, वितरित करेगा या बेचेगा, वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये कारावास से, जो **छह मास** तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो **दो हजार रुपये तक** का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(5) जब राज्य सरकार को किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक, पर्णिका, पुस्तिका या अन्य प्रकाशन जिसका मुद्रण या प्रकाशन कहीं भी हुआ हो के बारे में ऐसा प्रतीत हो कि उसमें कोई ऐसा विज्ञापन या कोई ऐसी सामग्री, जिसमें कि किसी मदिरा की प्रशंसा की गई हो, उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया हो या कोई मदिरा देने का प्रस्ताव दिया गया हो, अन्तर्विष्ट हो, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति तथा ऐसी पुस्तक, पर्णिका, पुस्तिका या ऐसे अन्य प्रकाशन की प्रत्येक प्रति के संबंध में यह घोषणा कर सकेगी कि वह राज्य सरकार को समहृत हो जाएगी, और तदुपरि कोई आबकारी अधिकारी, पुलिस या राजस्व विभाग का कोई अधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में प्राधिकृत किया गया कोई अन्य व्यक्ति उसे, चाहे वह छत्तीसगढ़ में कहीं भी जाए, अभिगृहीत कर सकेगा, तथा कोई कलेक्टर या प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग का कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अन्य अधिकारी, उप निरीक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा, इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी परिसर में जहाँ ऐसे अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई पुस्तक, पर्णिका, पुस्तिका या ऐसा कोई अन्य प्रकाशन मौजूद हो या उसके होने का युक्ति-युक्त संदेश हो, प्रवेश करके और उसके लिए तलाशी ले।

धारा-24

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

24. लोक शान्ति के लिए दुकानों का बंद किया जाना - (1) जिला मजिस्ट्रेट लिखित सूचना द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि कोई भी दुकान जिसमें किसी मादक द्रव्य का विक्रय किया जाता है, ऐसे समयों पर या ऐसी कालावधि के लिए बंद रखी जाएँ जिसे वह लोक शान्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे।

(2) यदि किसी दुकान के आसपास कोई बलवा या विधि विरुद्ध जमाव होता है या होने की आशंका है, तो किसी भी वर्ग का मजिस्ट्रेट जो उपस्थित है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी दुकान ऐसी कालावधि के लिए बंद रखी जाए जिसे वह आवश्यक समझे,

परन्तु यह कि, जब भी बलवा या ऐसी कोई विधि विरुद्ध जमाव होता है तब मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में ऐसा अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी आदेश के बिना भी अपनी दुकान बंद कर देगा।

(3) जब कोई मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश जारी करे, तो वह इस संबंध में अपनी कार्यवाही तथा उसके लिए अपने कारणों की सूचना कलेक्टर को तत्काल देगा।

अध्याय 5 शुल्क तथा फीस

25. आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क - ¹{ (1) यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तो यथास्थिति आबकारी शुल्क या कोई प्रतिशुल्क औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पादन शुल्क) अधिनियम 1955 (क्रमांक 16 सन् 1955) की अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट औषधीय तथा प्रसाधन निर्मितियाँ से भिन्न आबकारी- शुल्क योग्य समस्त ऐसी वस्तुओं पर उद्गृहीत किया जाएगा-

- (क) जिनका आयात किया गया हो, या
- (ख) जिनका निर्यात किया गया हो, या
- (ग) जिनका परिवहन किया गया हो, या
- (घ) जो धारा 13 के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित की गई हो, खेती में उपजाई गई हो अथवा संगृहीत की गई हो, या
- (ङ.) जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित की गई किसी आसवनी में या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त की गई किसी आसवनी या मद्य निर्माण-शाला में विनिर्मित की गई हो।

परन्तु राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आबकारी-शुल्क योग्य किसी भी वस्तु को किसी ऐसे शुल्क से, जिसके लिए कि वह इस अधिनियम के अधीन दायित्वाधीन हो, छूट देगी।}

²{(2) उपधारा (1) के अधीन शुल्क का अधिरोपण-

- (एक) उस स्थान के, जहां किसी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु को ले जाया जाना है, या
- (दो) आबकारी शुल्क योग्य वस्तु की शक्ति (स्ट्रेन्थ) और उसकी क्वालिटी के, या
- (तीन) आबकारी शुल्क योग्य वस्तु का विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग के अनुसार,} ³{या}

⁴{(चार) ऐसे सिद्धांतों पर जो कि विहित किए जाएं, आधारित आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्य के,} विभिन्न दरों से किया जा सकेगा।}

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. आबकारी (द्वितीय संशोधन एवं विधिमाम्यकरण) अधि., 1986 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. अधिनियम क्रमांक 13 सन् 1992 द्वारा अन्तः स्थापित ।
4. अधिनियम क्रमांक 13 सन् 1987 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा-25 (2)(5)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

¹{(पांच) आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए, विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा ।

(3) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी ऐसी वस्तु पर उसके अधीन शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा जो सागर-सीमा-शुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का सं. 8) या इंडियन टैरिफ एक्ट, 1894 (1894 का सं. 8) के अधीन भारत में आयात की गई है तथा ऐसे आयात किए जाने पर जो शुल्क के दायित्वाधीन थी।

²{* * * }

³{ (4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी वित्तीय वर्ष के दौरान शुल्क की दरों में वृद्धि करने या उनमें कमी करने से राज्य सरकार को प्रवर्तित करती है और शुल्क की दर में वृद्धि करने या उसमें कमी करने की शक्ति के अंतर्गत ऐसी वृद्धि या कमी को किसी ऐसी तारीख से, जो उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व की हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति आएगी।}

सारणी (01 अप्रैल 2013 से प्रवृत्त)

अ.क्रं.	आबकारी कर योग्य वस्तु	ढ्यूटी दर
1	2	3
1.	भांग (मद्य भण्डागरण के भाण्डागार से प्रदाय लेने पर):-	
	पद्ध जब भांग या भांगघोटा के लायसॅसीको प्रदाय किया जाय-	रुपये 100/- प्रति कि.ग्रा.
	पपद्ध जब उपरोक्त से अन्य लायसॅसीको प्रदाय किया जाय-	रुपये 300/- प्रति कि.ग्रा.
2.	देशी मदिरा (मद्य भण्डागरण के भाण्डागार से प्रदाय लेने पर):-	
	:पद्ध मसाला - 25 ⁰ न्ट	रुपये 68/- प्रति पुफलीटर
	:पपद्ध प्लेन - 50 ⁰ न्ट	
	:पपपद्ध रासी - 60 ⁰ न्ट	
3.	विदेशी मदिरा (स्प्रिट):- लैडिंग प्राईज प्रति पेटी (12 बोतल) पर निम्नानुसार होगी:-	
	:पद्ध रुपये 700/- तक	रुपये 85/- प्रति पुफ लीटर
	:पपद्ध रुपये 701/- से 1000/- तक	रुपये 100/- प्रति पूफ लीटर
	:पपपद्ध रुपये 1001/- से 1500/- तक	रुपये 115/- प्रति पूफ लीटर
	:पअद्ध रुपये 1501/- से 2000/- तक	रुपये 130/- प्रति पुफ लीटर
	:अद्ध रुपये 2001/- और उससे अधिक	रुपये 150/- प्रति पुफ लीटर
4.	विदेशी मदिरा बीयर (माल्ट मदिरा)	
		रुपये 22/- प्रति बल्क लीटर
5.	सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/क्लबों के लिये :-	
	:पद्ध विदेशी मदिरा(स्प्रिट)	रुपये 30/- प्रति पूफ लीटर
	:पपद्ध बीयर (माल्ट मदिरा)	रुपये 8/- प्रति बल्क लीटर

1. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2011 द्वारा अंतःस्थापित- 01.04.2011 से प्रवृत्त
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1958 द्वारा विलुप्त ।
3. अधिनियम क्रमांक 39 सन् 1982 द्वारा अन्तः स्थापित ।

धारा-26

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

स्पष्टीकरण-

- (1) विदेशी मदिरा में सम्मिलित है - व्हिस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वाइन, लिकर्स, कार्डियल्स बिटर्स उनके मिक्सचर तथा अन्य निर्मितियों जो स्प्रिट युक्त हो।
- (2) माल्ट लिकर में सम्मिलित है - बियर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर, आदि।
- (3) सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बल से अभिप्रेत है - सैन्य कर्मी जो विदेशी मदिरा मिलिट्री संगठन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इनमें सीमा सुरक्षा बल कर्मी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस कर्मी तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मी शामिल है।
- (4) 191 मिलिलीटर से कम किन्तु 142 मिलिलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, निप बोतल के रूप वर्गीकृत की जाएगी, 383 मिलिलीटर से कम किन्तु 246 मिलिलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, पिंट बोतल होगी, 767 मिलिलीटर से कम किन्तु 495 मिलिलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, क्वार्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी और 767 मिलिलीटर से अन्यून किन्तु 1000 मिलिलीटर तक की धारिता वाली बोतल, मैगन्म बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।

26. ऐसे शुल्क के उद्ग्रहण की रीति - समय, स्थान और रीति, को विनियमित करने वाले नियमों के अध्याधीन रहते हुए जो राज्य सरकार विहित करे, आयातित, निर्यातित परिवहन की गई, संग्रहीत या किसी आसवनी, मद्य निर्माण-शाला या भण्डागार में से विनिर्मित या उसमें से निर्गमित आबकारी शुल्क वस्तु के परिणाम पर ऐसा शुल्क अनुपातिक रूप से उद्गृहीत किया जाएगा परन्तु -

(1) शुल्क—

(क) मादक औषधियों पर भांग के पौधे (हेम्प प्लाण्ट) को खेती पर प्रति एकड़ की दर से या संग्रहित परिमाण पर प्रभारित किसी दर से,

(ख) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी आसवनी या अनुज्ञप्त किसी आसवनी या मद्य निर्माणशाला में विनिर्मित स्पिरिट या बीयर पर—

(एक) उपयोग में लाई गई सामग्रियों के परिमाण पर संगणित समतुल्यों के ऐसे मान के अनुसार, या यथास्थिति, वाश या वर्ट की क्षीणता की मात्रा के अनुसार, जैसा राज्य सरकार विहित करे, या

(दो) उपयोग में लाई गई सामग्रियों पर प्रत्यक्षतः प्रभारित किसी दर से,

(तीन) ताड़ी पर, प्रत्येक ऐसे वृक्ष पर जिससे ताड़ी निकाली जाए, कर द्वारा, उद्गृहीत किया जा सकेगा

(2) जहां किसी भण्डागार से विक्रय के लिए कोई आबकारी शुल्क वस्तु निर्गमित किए जाने पर संदाय किया जाता है वहां वह ऐसी वस्तु भण्डागार से निर्गमित की जाने की तारीख को प्रवृत्त शुल्क की दर से होगा।

¹{(3) जहां भण्डागार से आबकारी शुल्क योग्य (एक्साइजेबिल) वस्तु के निर्गमन पर शुल्क का संदाय कर दिए जाने के पश्चात् शुल्क की दर में वृद्धि या कमी की जाती है, और आबकारी शुल्क योग्य वस्तु किसी अनुज्ञप्तिधारक के पास स्टॉक में है, वहां स्टॉक में के अंतर की आबकारी शुल्क योग्य वस्तु इस प्रकार बढ़ाई गई या कम की गई दर से शुल्क (क) उद्ग्रहण के अध्यक्षीन होगी और शुल्क की रकम उस अनुज्ञप्तिधारक, जिसके पास ऐसी आबकारी शुल्क योग्य तात्विक समय पर स्टॉक है, द्वारा या उसको संदाय या प्रतिदेय होगी जैसी भी कि दशा हो।}

1. अधिनियम क्रमांक 39 सन् 1982 द्वारा अन्तःस्थापित।

धारा—27

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

27. पट्टे की मंजूरी के लिए संदाय — ¹{ (1) इस अध्याय के अधीन उद्ग्रहणीय किसी शुल्क के बजाय या उसके अतिरिक्त राज्य सरकार धारा 18 के अधीन किसी पट्टा अनुदान के प्रतिफल स्वरूप किसी भी रकम का संदाय प्रतिगृहीत कर सकेगी।}

²{ (2) उपधारा (1) में अंतर्विष्टि किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह राज्य सरकार को धारा 18 के अधीन किसी पट्टा अनुदान के प्रतिफलस्वरूप प्राप्त किसी राशि में किसी वित्तीय वर्ष के दौरान या किसी अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान वृद्धि या कमी करने से प्रवरित (Preclude) करती है और राशि में वृद्धि या कमी करने की शक्ति के अंतर्गत ऐसी वृद्धि या कमी को किसी ऐसी तारीख से, जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है।}

27 -क. - संविधान के प्रारंभ होने पर उद्गृहीत किए जाने वाले शुल्कों के लिए व्यावृत्ति - (1) जब तक संसद द्वारा प्रतिकूल उपबंध न किए जाएं तब तक राज्य सरकार किसी भी ऐसे शुल्क का जिसको यह धारा लागू होती है, और जिसका वह संविधान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व विधिपूर्वक उद्ग्रहण करती थी तत्समय प्रवृत्त इस अध्याय के अधीन उद्ग्रहण जारी रख सकेगी।

(2) वे शुल्क, जिन्हें यह धारा लागू होती है, निम्नलिखित हैं -

(क) उन मादक द्रव्यों पर, जो इस अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत आबकारी शुल्क वस्तुएं नहीं हैं, कोई भी शुल्क,

(ख) किसी आबकारी शुल्क वस्तु पर, भारत के बाहर उत्पादित की जाती हो और जिसका आयात ³{राज्य} में किया जाता है, चाहे वह केन्द्रीय सरकार द्वारा परिभाषित सीमा शुल्क (कस्टम्स) सीमांत से बाहर होता है या नहीं, कोई भी शुल्क,

(ग) ⁴{* * * }

⁵{(3) इस धारा में की गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा किसी भी ऐसे शुल्क के उद्ग्रहण को प्राधिकृत नहीं करती है जिससे (राज्य) में विनिर्मित या उत्पादित माल तथा इस प्रकार विनिर्मित या उत्पादित न किए गए समान माल में से पूर्ववर्ती माल के पक्ष में विभेद होता है या जिससे (राज्य) के बाहर विनिर्मित या उत्पादित माल की दशा में एक में एक परिक्षेत्र में विनिर्मित या उत्पादित समान माल के बीच विभेद होता है ।}

अध्याय 6

अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र तथा पास

⁶{28. अनुज्ञप्ति आदि के प्रारूप और शर्तें –

(1) इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रत्येक अनुज्ञापत्र या पास या मंजूर की गई अनुज्ञप्ति ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर, ऐसी कालावधि के लिए ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए जारी या मंजूर की जाएगी और उसका प्रारूप ऐसा होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जैसा कि विहित किया जाए।

1. अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1988 द्वारा पुनर्क्रमांकित ।
2. अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1988 द्वारा अन्तःस्थापित ।
3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1958 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1957 द्वारा विलुप्त ।
5. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1957 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. अधिनियम क्रमांक 6 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा-28(2)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

(2) उप-धारा (1) के अधीन विहित की गई शर्तों द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह उसकी दुकान के लिए निश्चित की गई देशी स्पिरिट या भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की न्यूनतम मात्रा विक्रय के लिए उठाए और कम उठाई गई मदिरा की मात्रा पर विहित की गई दर से शास्ति का संदाय करें।

(3) उप-धारा (1) में अधिकथित या उप-धारा (2) में विशिष्टित: प्रगणित किन्हीं शर्तों का व्यतिक्रमण या अतिलंघन किया जाने पर विहित की गई दर से शास्ति अनुज्ञप्तिधारी से उद्ग्रहणीय और उससे वसूलीय होगी।}

¹{28 क. पर्यवेक्षण प्रभारों का संदाय- राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा, लिखित में यह निर्देश दे सकेगी कि किसी मादक द्रव्य, विकृत स्पिरिट युक्त निर्मित या भांग का विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, भंडारण, विक्रय, क्रय, उपयोग संग्रहण, या खेती ऐसे आबकारी, कर्मचारी वृन्द के पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी जिसे आबकारी आयुक्त इस निमित्त करना उचित समझे और किसी मादक, द्रव्य या विकृत स्पिरिट निर्मित का विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, भंडारण, विक्रय क्रय उपयोग, संग्रहण या उसकी खेती करने वाला व्यक्ति, राज्य सरकार को पर्यवेक्षण प्रभारों के लिए उतनी लेवी जितनी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिरोपित की जाए का संदाय करेगा।

परन्तु राज्य सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग या संस्था को ऐसी लेवी के सम्पूर्ण या किसी भाग का संदाय करने से छूट दे सकेगी।}

²{29. अनुज्ञप्तिधारी से प्रतिभूति लेने की शक्ति— इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाला कोई भी प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अनुज्ञप्ति के तात्पर्य से अनुरूपता रखता हुआ एक प्रतिलेख—करार निष्पादित करे और ऐसे करार के पालन के लिए ऐसी प्रतिभूति दे या ऐसा निक्षेप करे या दोनों की व्यवस्था करे, जैसा कि ऐसा प्राधिकारी उचित समझे।}

30. तकनीकी त्रुटियां, अनियमितताएं तथा लोप— (1) इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई कोई भी अनुज्ञप्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि अनुज्ञप्ति में या उसके मंजूर किए जाने के पूर्व की गई किन्हीं भी कार्यवाहियों में कोई तकनीकी त्रुटि, अनियमितता या लोप हुआ है।

(2) कौन—सी तकनीकी त्रुटि, अनियमितता या लोप है, इस बारे में आबकारी आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

31. अनुज्ञप्ति, आदि रद्द या निलंबित करने की शक्ति — (1) ऐसे निर्बन्धनों के अध्यक्ष रहते हुए जैसे राज्य सरकार विहित करे, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास मंजूर करने वाला प्राधिकारी उसे रद्द या निलंबित कर सकेगा—

- (क) यदि उसके धारक द्वारा देय कोई भी शुल्क या फीस सम्यक् रूप से संदत्त नहीं की गई है, या
(ख) यदि उसके धारक द्वारा या उसके किसी सेवक द्वारा या उसकी अभिव्यक्ति या विविक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किन्हीं भी निर्बन्धनों तथा शर्तों में से किसी का भी भंग होने की दशा में, या

1. आबकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा अन्तःस्थापित प्रयोज्य तिथि 16.08.2000।
2. अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा—31 (ग)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

(ग) यदि उसका धारक द्वारा या उसका कोई सेवक या उसकी अभिव्यक्ति या विविक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 (1930 का सं. 2) या इंडियन मर्चेन्डाइज मार्क्स एक्ट, 1899 (1899 का सं. 4) या किसी भी ऐसी धारा के अधीन जो उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) में पुनः स्थापित की गई है किसी भी अपराध का सिद्धरोष ठहराया गया है, या

(घ) यदि उसका धारक किसी संज्ञेय तथा अजमानतीय अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है, या

(ड.) यदि उसका धारक सागर—सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का सं. 7) की धारा 167 के खण्ड (8) में विनिर्दिष्ट किसी भी अपराध के लिए दंडित किया गया है, या

(च) जहां कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास धारा 18 के अधीन अनुदत्त किसी पट्टे के धारक के आवेदन पर मंजूर किया गया है वहां ऐसे पट्टेदार की लिखित अध्यक्षता पर, या

(छ) यदि अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की शर्तों में ऐसा रद्दकरण या निलंबन इच्छाधीन होने का उपबंध है।

¹{ (1-ए) उप-धारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास को रद्द निलंबित करने वाला कोई आदेश करने के पूर्व, पूर्वोक्त प्राधिकारी प्रस्थापित कार्यवाही के कारण लेखबद्ध करेगा उसके धारक को उनका एक संक्षिप्त विवरण देगा तथा उसे सुनवाई का युक्ति—युक्त अवसर देगा।}

(2) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारित अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास उप-धारा (1) के खण्ड (क) खण्ड (ख) खण्ड (ग) या खण्ड (ड.) के अधीन रद्द कर दिया जाता है, वहां पूर्वोक्त प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन या आबकारी आगम से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन या ओपियम एक्ट 1878 (1878 का 1) के अधीन ऐसे व्यक्ति को मंजूर की गई किसी भी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास को रद्द कर सकेगा।

(3) किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास का धारक उसके रद्दकरण या निलंबन के लिए न तो किसी प्रकार का और न ही उसके संबंध में संदत्त की गई फीस या निक्षेप के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा।

(4) जहां उप-धारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (ड.) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित कर दी जाती है वहां –

(क) उस अतिशेष कालावधि के लिए जिसमें ऐसी अनुज्ञप्ति ऐसे रद्द या निलंबित न किए जाने की दशा में चालू रहती, देय फीस भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी से आबकारी राजस्व के तौर पर वसूल की जा सकेगी,

(ख) कलेक्टर अनुज्ञप्ति को अपने प्रबंध में ले सकेगा या, भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी की जोखिम और हानि पर उसका पुनर्विक्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे प्रबंध या पुनर्विक्रय से प्राप्त किया गया कोई भी लाभ जो ऐसी कालावधि के लिए खण्ड (क) के अधीन वसूल की गई रकम से अधिक नहीं है, भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त किया जाएगा।

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1979 द्वारा अन्तःस्थापित।

धारा-32

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

32. अनुज्ञप्तियां वापस लिए जाने की शक्ति – (1) जब कभी उस प्राधिकारी का, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रदान की है यह विचार हो कि धारा 31 में विनिर्दिष्ट कारणों से भिन्न किसी भी कारण से ऐसी अनुज्ञप्ति वापस ले ली जाए, तो वह उसके संबंध में पंद्रह दिन के लिए देय फीस के बराबर रकम की छूट देगा तथा या तो –

(क) ऐसे करने के अपने आशय की पंद्रह दिन की लिखित सूचना की अवधि समाप्त हो जाने पर, या

(ख) सूचना के बिना तत्काल, ऐसी अनुज्ञप्ति वापस ले सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति वापस ले ली गई हो, तो पूर्वोक्त प्राधिकारी राशि की छूट देने के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी को क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसी और राशि का (यदि कोई हो) संदाय करेगा, जैसा आबकारी आयुक्त निर्देशित करे।

(3) जब उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति वापस ले ली जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके संबंध में अग्रिम में संदत्त की गई कोई फीस या किए गए किसी निक्षेप का प्रतिदाय सरकार को शोध्य रकम (यदि कोई हो) की कटौती करने के पश्चात् उसे कर दिया जाएगा।

33. अनुज्ञप्तियों का अभ्यर्पण – (1) इस अधिनियम के अधीन मादक द्रव्य का विक्रय करने के लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्ति का कोई भी धारक अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण करने के अपने आशय की एक मास की लिखित सूचना की, जो उसके द्वारा कलेक्टर को दी गई है। अवधि समाप्त हो जाने पर और ऐसी शेष

अवधि के लिए जिसके लिए वह ऐसा अभ्यर्पण न किये जाने की दशा में चालू रहती, अनुज्ञप्ति के लिए देय फीस का संदाय किए जाने पर अपनी अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित कर सकेगा,

परन्तु यदि आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाए कि अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने के लिए पर्याप्त कारण है तो वह अभ्यर्पण पर इस प्रकार देय राशि या उसके किसी भाग की छूट उसके धारक को दे सकेगा।

(2) ऐसी किसी भी अनुज्ञप्ति के मामले में, जो धारा-18 के अधीन मंजूर की गई है, उप-धारा लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- इस धारा में यथा प्रयुक्त शब्द "अनुज्ञप्ति का धारक" में वह व्यक्ति सम्मिलित है जिसकी किसी अनुज्ञप्ति के लिए निविदा या बोली स्वीकार कर ली गई है, यद्यपि उसे वस्तुतः वह अनुज्ञप्ति प्राप्त न हुई हो।

33-क. {**}

अध्याय 7 अपराध और शास्तियाँ

²{34 विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति - (1) जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध के या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश के, या इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन में -

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1958 द्वारा विलुप्त।
2. आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2002 (क्र. 11 सन् 2002) द्वारा अन्तःस्थापित प्रयोज्य तिथि 23.04.2002।

धारा-34(1)(क)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

- (क) किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रहण करेगा या उसे कब्जे में रखेगा, या
- (ख) उन मामलों में के सिवाय जिनके लिए धारा 38 में उपबंध किया है कोई मादक-द्रव्य बेचेगा, या
- (ग) भांग की खेती करेगा, या
- (घ) ताड़ी उत्पन्न करने वाले किसी वृक्ष से ताड़ी का व्यावन करेगा या उससे ताड़ी निकालेगा, या
- (ङ) किसी आसवनी, मद्य निर्माण शाला या शराब की दुकान का सन्निर्माण करेगा या उसे चलाएगा, या
- (च) ताड़ी से भिन्न किसी मादक-द्रव्य का विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए किसी सामग्री भबका, पात्र, उपकरण या सधित्र को उपयोग में लाएगा, रखेगा या अपने कब्जे में रखेगा, या
- (छ) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात की गई, स्थापित की गई या चलाई जा रही किसी आसवनी, मद्य निर्माण शाला, शराब की दुकान या भण्डागार से किसी मादक-द्रव्य को हटाएगा, या
- (ज) किसी मदिरा को बोटलों में भरेगा,

वह उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

परन्तु जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दूसरी बार या पश्चातवर्ती समय पर सिद्धदोष ठहराया जाए तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से जो बीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाए तथा अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाये गए मादक द्रव्य मदिरा की मात्रा **1[पाँच बल्क लीटर]** से अधिक हो, तो वह कारावास से जिसकी अवधि **एक वर्ष** से कम की नहीं होगी किन्तु जो **तीन वर्ष** तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो **पच्चीस हजार रूपये** से कम का नहीं होगा किन्तु जो **एक लाख रूपये** तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

परन्तु जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दूसरी बार या पश्चातवर्ती समय पर सिद्धदोष ठहराया जाए तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि **दो वर्ष** से कम की नहीं होगी किन्तु जो **पाँच वर्ष** तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो **पचास हजार** से कम का नहीं होगा किन्तु जो **दो लाख रूपये** तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) जब उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई अपराध किया जाए और जहां ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा **1[पाँच बल्क लीटर]** से अधिक हो, तो वे समस्त मादक-द्रव्य, वस्तुएं उपकरण, पात्र, सामग्री, प्रवहण आदि जिसके संबंध में या जिनके द्वारा अपराध किया गया तो अभिगृहीत किए जाने और अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होंगे। यदि ऐसा कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से या उसके द्वारा किया जाए जो इस अधिनियम के अधीन विक्रय के लिए उस मदिरा का विनिर्माण करने या संग्रहण करने या उसका भण्डारण करने के लिए अनुज्ञप्ति धारण करता है जिस पर विहित दर पर शुल्क का संदाय नहीं किया गया है जो धारा 31 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी यथा पूर्वोक्त अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए जाने की दशा में उसे मंजूर की गई अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी।

1. अधिनियम क्रमांक 156 दिनांक 30.04.2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

टीप- पूर्व में धारा 34(2) के अंतर्गत दिनांक 04.08.2000 से म.प्र. में **पचास ब.ली.** तथा छ.ग. में दिनांक 01.06.2003 से **पच्चीस ब.ली.** का प्रावधान था।

धारा-34(4)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

(4) मादक-द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों तथा प्रवहणों का अभिग्रहण किया अधिहरण और ऊपर उपधार (2) में यथा उपबंधित अनुज्ञप्ति का रद्दकरण ऐसी किसी अन्य कार्यवाई के अतिरिक्त तथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन की जा सके।

35. किसी 1[विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मित] को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए शास्ति- जो कोई -

(क) किसी 1[(विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिट युक्त निर्मित) को इस आशय से परिवर्तित करेगा या परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा कि ऐसी स्पिरिट का उपयोग, चाहे पेय के रूप में या आंतरिक रूप से औषधि के रूप में या किसी भी पद्धति द्वारा किसी भी अन्य प्रकार से, मानवीय उपयोग के लिए किया जाए, या

(ख) अपने कब्जे में कोई ऐसी स्पिरिट रखेगा, जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी ऐसा परिवर्तन या प्रयत्न खण्ड (ए) में विनिर्दिष्ट किए गए आशय से किया गया है,

2[(ग) विकृत स्पिरिट को या ऐसी परिवर्तित विकृत स्पिरिट को या विकृत स्पिरिट युक्त निर्मित को पेय स्पिरिट के साथ मिश्रित करेगा,]

3[वह कारावास से, जिसकी अवधि **दो मास** से कम की नहीं होगी किन्तु जो **दो वर्ष** तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो **पाँच हजार रूपये** से कम का नहीं होगा, किन्तु जो **पच्चीस हजार रूपये** तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

परन्तु जब किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन द्वितीय अपराध या किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो वह ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि **एक वर्ष** से कम

की नहीं होगी किन्तु **छह वर्ष** तक के हो सकेगी और जुर्माने से जो **पाँच हजार** रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो **पचास हजार** रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, “विकृत स्पिरिट युक्त निर्मित” से अभिप्रेत है कोई ऐसी निर्मित जो विकृत स्पिरिट से बनाई गई हो और उसके अंतर्गत ऐसी स्पिरिट युक्त निर्मित से बनी मदिरा, फ्रेंच पॉलिश वार्निश, और तरल द्रविक (थिनर्स) आती है।

36. अवैध कब्जे के लिए शास्ति – जो कोई, यह जानते हुए कि मादक द्रव्य का आयात, परिवहन, विनिर्माण खेती तथा संग्रह विधि-विरुद्धतया किया गया है, या यह जानते हुए कि उस पर विहित शुल्क का संदाय नहीं किया गया है, किसी मादक द्रव्य को विधिपूर्ण, प्राधिकार के बिना किसी भी परिमाण में अपने कब्जे में रखेगा वह कारावास से, जिसकी ¹[अवधि **तीन माह** से कम की नहीं होगी किन्तु जो **पाँच वर्ष** तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **एक लाख रुपये** से कम का नहीं होगा किन्तु जो **पाँच लाख रुपये** तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

1. अधिनियम क्रमांक 39 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 39 सन् 1982 द्वारा अन्तः स्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 156 दिनांक 30.04.2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा-36(क)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

¹[36-क – किसी स्थान को सामान्य मदिरा पान-गृह के रूप में खोलने, रखने या उपयोग में लाने के लिए या किसी भी ऐसे स्थान के देख-रेख उसका प्रबंध या नियंत्रण रखने के लिए या ऐसे किसी स्थान के कारोबार का संचालन करने की सहायता करने के लिए शास्ति- जो कोई –

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या दिये गये किसी आदेश के या इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र या पास के उल्लंघन में –

(क) किसी स्थान को सामान्य मदिरा पान गृह के रूप में खोलेगा, रखेगा या उपयोग में लायेगा, या

(ख) सामान्य मदिरा पान-गृह के रूप में खोले गये, रखे गये या उपयोग में लाये गये किसी स्थान की देखरेख या उसका प्रबंध या नियंत्रण रखेगा या ऐसे स्थान का कारोबार का संचालन करने में किसी भी रीति में सहायता करेगा,

²[वह कारावास से जिसकी अवधि **एक वर्ष** तक हो सकेगी या जुर्माने से जो **पाँच हजार रुपये** से कम का नहीं होगा किन्तु जो **पच्चीस हजार रुपये** तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा और **पश्चात्पूर्ती अपराध** के लिए, वह कारावास से जिसकी अवधि **दो वर्ष** तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो **दस हजार रुपये** से कम का नहीं होगा किन्तु जो **पचास हजार रुपये** तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा,“।

³[36-(ख) किसी सामान्य मदिरा पान-गृह में मत्त पाये जाने के लिए या मदिरा पान करने के प्रयोजन के लिए पाये जाने के लिए शास्ति- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, जारी की गई अधिसूचना, या दिये गये किसी आदेश के या इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के उल्लंघन में, किसी सामान्य मदिरापान गृह में मत्त पाया जाये या मदिरापान करता हुआ पाया जायेगा या मदिरा पान करने के प्रयोजन से वहाँ उपस्थित पाया

जायेगा वह जुर्माने से, जो **एक हजार रुपये तक** का हो सकेगा, दंडनीय होगा और किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो, किसी सामान्य मदिरा पान गृह में उस समय पाया जाएगा जबकि वहां मदिरापान चल रहा हो, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जावे, यह उपधारणा की जाएगी कि वह वहां मदिरापान करने के प्रयोजन से उपस्थित था।

³[36-(ग) किसी स्थान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध, जो धारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 36-क के अधीन दंडनीय है, किये जाने हेतु उपयोग में लाये जाने देने के लिए शास्ति - जो कोई किसी स्थान का स्वामी होते हुए या उसका उपयोग या देख-रेख या प्रबंध या नियंत्रण रखते हुए उस स्थान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध, जो कि धारा 34, धारा 35, या धारा 36 या धारा 36-क के अधीन दंडनीय है किये जाने हेतु जानते हुए उपयोग में लाए जाने देगा, वह कारावास से जिसकी अवधि **एक वर्ष तक** की हो सकेगी या जुर्माने से जो **दो सौ रुपये** से कम का नहीं होगा, किन्तु जो **दो हजार रुपये तक** का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. **अधिनियम क्रमांक 156 दिनांक 30.04.2011** द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित ।

36-(घ) धारा 34 या 36 के अधीन दंडनीय अपराधों को करने से प्रविरत रहने के लिए बंधपत्र का निष्पादन- (1) जब कभी कोई व्यक्ति धारा 34 या धारा 36 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराने वाले मजिस्ट्रेट का यह मत है कि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा करना आवश्यक है कि वह उन धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों को करने से प्रविरत रहने के लिए एक बंध-पत्र निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति पर दंडादेश पारित करते समय यह आदेश कर सकेगा कि वह तीन वर्ष से अनाधिक की ऐसी कालावधि के दौरान जैसा वह निर्दिष्ट करे, ऐसे अपराधों को करने से प्रविरत रहने के लिए उसकी आय के अनुपात के अनुसार राशि का प्रतिभुओं सहित या रहित एक बंध पत्र निष्पादित करे।

(2) बन्ध-पत्र का प्रारूप और ऐसे बंध -पत्र से संबंध समस्त विषयों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का लागू होना- बंध पत्र द्वितीय अनुसूची में अन्तर्विष्ट प्रारूप में होगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898(1898 का सं. 5) के उपबंध जहाँ तक वे लागू होते हैं, ऐसे बंध पत्र से संबंध समस्त विषयों को उसी प्रकार लागू होंगे, मानों वह शान्ति बनाये रखने के लिए उस संहिता कि धारा 106 के अधीन निष्पादित किये जाने के लिए आदिष्ट बंधपत्र है।

(3) परिस्थितियाँ जिनमें बंध-पत्र शून्य होगा- यदि अपील में या अन्यथा दोषसिद्ध अपास्त कर दी जाए, तो इस प्रकार निष्पादित बंध-पत्र शून्य हो जाएगा।

(4) अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय की आदेश करने की शक्ति - इस धारा के अधीन, किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा, जब कि वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, भी आदेश किया जा सकेगा।

36-(ड.) मजिस्ट्रेट का किसी व्यक्ति को यह कारण बताने के लिए अपेक्षित करना कि सद्व्यवहार के लिए बंध-पत्र निष्पादित करने के लिए क्यों न आदिष्ट किया जाए- जब कभी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किये गये प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट को यह सूचना प्राप्त होती है कि उसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई व्यक्ति धारा 34 या धारा 36 के अधीन दण्डनीय अपराध को अभ्यासिक रूप से करता है, या करने का प्रयत्न करता है, या उसके किये जाने का दुष्प्रेरण करता है तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगा कि क्यों न उसे तीन वर्ष से अनाधिक ऐसी कालावधि के लिए, जैसा मजिस्ट्रेट निर्देशित करे, अपने सद्व्यवहार हेतु प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदिष्ट किया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही को दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंध का लागू होना- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898(1898 का सं. 5) के उपबंध जहाँ तक वे लागू होते हैं उपधारा (1) के अधीन किन्हीं भी कार्यवाहियों को उसी प्रकार लागू होंगे, मानों कि उसमें निर्देशित बंध-पत्र उस संहिता की धारा 110 के अधीन निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित बंधपत्र है।

¹36-च (1) सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान के लिए शास्ति :- जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पूजा गृहों (पूजा स्थलों), बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन तथा आम रास्ता आदि में मदिरापान करते हुए या मत्त पाया जाता है तो उसे जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा अपराध के पुनरावृत्त किए जाने की दशा में, जुर्माने से जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा तीन मास के कारावास से दण्डित किया जायेगा.

1. अधिनियम क्रमांक 156 दिनांक 30.04.2011 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹{(2) सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान कर उत्पात करने के लिए शास्ति :-जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पूजा गृहों (पूजा स्थलों), बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा आम रास्ता आदि में मदिरापान करने के पश्चात उत्पात करते हुए पाया जाता है तो उसे जुर्माना से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा तीन मास के कारावास से दण्डित किया जायेगा ।}

²{37- उन अपराधों के लिए शास्ति कि जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है - जो कोई किसी भी ऐसे कार्य या ऐसे साशय कार्य लोप का, जो कि इस अधिनियम के उसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम जारी की गई किसी भी अधिसूचना या दिये गये किसी आदेश के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के उल्लंघन में किया गया हो, और जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध न हो, दोषी हो, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।}

38. अनुज्ञप्त विक्रेताओं के कतिपय विधि विरुद्ध कार्यों के लिए शास्ति - (1) कोई अनुज्ञप्त विक्रेता या उसके नियोजन में और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, जो -

- (क) कोई मादक द्रव्य किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मत्त या मदोन्मत्त हो, बेचेगा, या
- (ख) कोई मादक द्रव्य किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 23 के उल्लंघन में बेचेगा, या देगा, या
- (ग) धारा 22 के उल्लंघन में, उस धारा में निर्दिष्ट किये गये अपने अनुज्ञप्त परिसर के किसी भाग में किसी पुरुष या स्त्री को नियोजित करेगा या नियोजित किए जाने की अनुज्ञा देगा, या
- (घ) ऐसे विक्रेता के अनुज्ञप्त परिसर में मत्त होना, मदोन्मत्त होना, विच्छृंखलता का आचरण करना नृत्य गायन, संगीत, वादन या द्यूत क्रीडा अनुज्ञात करेगा, या
- (ड.) किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को, जिनके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे किसी अजमानतीय अपराध के सिद्ध दोष ठहराये गये हैं, या जो वेश्याएँ हैं, ऐसे विक्रेता के अनुज्ञप्त परिसर में आश्रय लेने या जमा होने के लिए, चाहे ऐसा आशय लेना या जमा होना अपराध के या वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए हो या न हो, अनुज्ञात करेगा,

वह जुर्माने से जो एक सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

³{ (2) जहाँ किसी अनुज्ञप्त विक्रेता, या उसके नियोजन में के और उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति पर ऐसे विक्रेता के परिसर में मत्तता अनुज्ञात करने का आरोप है, और यह साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसे परिसर में मत्त था, तो यह साबित करने का कि ऐसे परिसर में मत्तता को रोकने के लिए, अनुज्ञप्त विक्रेता ने और उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों ने समस्त युक्तियुक्त उपाय किये थे, भार उस व्यक्ति पर होगा जिस पर आरोप लगाया गया है ।}

1. अधिनियम क्रमांक 156 दिनांक 30.04.2011 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. अधिनियम क्रमांक 39 सन् 1982 द्वारा अन्तःस्थापित ।

धारा-38(क)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

¹{ 38-क मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त विनिर्माता या विक्रेता पर ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि या कोई बाह्य संघटक या कोई मदक या रंजक पदार्थ मिश्रित करने या मिश्रित करने देने के लिए शास्ति -

यदि कोई अनुज्ञप्त विनिर्माता या अनुज्ञप्त विक्रेता या उसके नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उसके द्वारा विनिर्मित किए गए, बेचे गए या विक्रय के लिए रखे गये या अभिदर्शित किए गए किसी मादक द्रव्य में अनुज्ञप्ति में, यथाविहित के अलावा कोई अपायकर औषधि का कोई बाह्य संघटक अथवा कोई मंदक या रंजित मिश्रित करेगा या मिश्रित करने देगा अथवा जिसके कब्जे में कोई ऐसा मादक द्रव्य होगा जिसमें कि ऐसा अपमिश्रण किया गया हो, वह कारावास से जिसकी अवधि एक मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन सौ रूपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

²{ 39. अनुज्ञप्तिधारियों आदि पर अवचार किये जाने के लिए शास्ति— इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास का कोई धारक या ऐसे धारक के नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाले कोई व्यक्ति, जो –

(क) किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर या ऐसी मांग करने के लिए सम्यक रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास साशय पेश नहीं करेगा, या

(ख) धारा 34 द्वारा उपबंधित किसी मामले में के सिवाय धारा 62 के अधीन बनाए गए किसी नियम का साशय, उल्लंघन करेगा, या

(ग) अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग करते हुए कोई भी ऐसा कार्य जो इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित नहीं है, साशय करेगा,

वह (क) के मामले में जुर्माने से, जो चार सौ रूपये तक का हो सकेगा तथा (ख) या (ग) के मामले में जुर्माने से, जो ³{दस हजार रूपये} तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा}

⁴{ 40. रसायन (केमिस्ट) आदि की दुकान में उपयोग करने की अनुज्ञा देने के लिए शास्ति—

(1) कोई भी रसायनज्ञ (केमिस्ट), भेषजिक (ड्रिगिस्ट), अतार(एम्पाधिकारी) या औषधालय चलाने वाला जो किसी ऐसे मादक द्रव्य को, जो औषधीय प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक औषधियुक्त न किया गया है किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि उसके कारबार में नियोजित न हो, अपने कारबार के परिसर में उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो चार हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) पूर्वोक्त रूप से नियोजित न हुआ कोई व्यक्ति, जो ऐसे मादक द्रव्य का उपयोग ऐसे परिसर पर करेगा, वह जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा}

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 1986 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 1987 द्वारा शब्द "एक हजार रूपये" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा-40(क)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

¹{ 40-क. अधिकारी आदि को बाधा पहुंचाना या उस पर हमला करने के लिए दण्ड – जो कोई –

(क) किसी आबकारी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति, या

(ख) इत्तिला देने वाले किसी व्यक्ति या किसी ऐसे अधिकारी या व्यक्ति की, जबकि वह इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, सहायता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर,

हमला करेगा या उसे बाधा पहुंचाएगा, वह कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।}

41. किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा विनिर्माण विक्रय या कब्जा—

(1) जहां किसी अन्य व्यक्ति के मददे किसी व्यक्ति द्वारा किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, या विक्रय किया जाता है, या उसे कब्जे में रखा जाता है, और ऐसे अन्य व्यक्ति को यह ज्ञान है या यह विश्वास करने का कारण है, कि ऐसा विनिर्माण या विक्रय उसके मददे था ऐसा कब्जा उसके मददे है तो ऐसा मादक द्रव्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा विनिर्मित या विक्रित किया गया था कब्जे में रखा गया समझा जाएगा।

(2) उप-धारा (1) में की कोई भी बात किसी व्यक्ति को, जो किसी दूसरे व्यक्ति के मददे किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, विक्रय करता है या उसे कब्जे में रखता है, ऐसे मादक द्रव्य से विधिविरुद्ध विनिर्माण, विक्रय का कब्जे के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी दण्ड के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी।

42. अपराध करने का प्रयत्न और अपराध का दुष्प्रेरण — जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दण्ड का दायी होगा।

43. कतिपय मामलों में अपराध किए जाने के बारे में उपधारणा— धारा 34, धारा 35, तथा धारा 36 के अधीन अभियोजनों में, जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि अभियुक्त व्यक्ति ने —

(क) किसी मादक द्रव्य, या

(ख) ताड़ी से भिन्न किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण करने के लिए किसी के पात्र, उपकरण या साधित्र, चाहे जो भी हो, या

(ग) किसी भी ऐसी सामग्री, जो किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिए किन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरी है या जिसने किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण किया गया है, के संबंध में, जिसके संबंध में कब्जे के लिए संतोषजनक रूप में लेखा— जोखा देने में वह असमर्थ है, उस धारा के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है।

44. सेवकों के कार्य के लिए अनुज्ञप्तिधारी का अपराधिक दायित्व — जहाँ इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के धारक के नियोजन में के और उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा धारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 36-ए, धारा 38, धारा 38 ए, या धारा 39 के अधीन कोई अपराध किया जाता है, वहां ऐसा धारक भी उसी प्रकार दण्डनीय होगा मानो उसने स्वयं वह अपराध किया है, जब तक वह यह सिद्ध न कर दे कि उसके द्वारा ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् और युक्तियुक्त पूर्वावधानियां बरती गई थी।

1. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 1987 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा-45

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

परन्तु वास्तविक अपराध से भिन्न कोई भी व्यक्ति जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर ही कारावास से दण्डनीय होगा, अन्यथा नहीं।

45. पूर्व दोषसिद्ध के पश्चात् वर्धित दण्ड — यदि कोई व्यक्ति धारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 36-ए, धारा 36 बी, धारा 36 सी, या धारा 40 के अधीन इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियमित के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का पूर्व में सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् उनमें से किन्हीं भी धाराओं के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध को तत्पश्चात् करे और उसको सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित किए जा सकने वाले दण्ड के दुगने दण्ड का दायी होगा।

¹{ परन्तु इस धारा में की गई कोई भी बात किसी ऐसे अपराध का जिसका कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के अध्याय 21 के अधीन अन्यथा संक्षेपतः विचारण किया जा सकता हो, इस प्रकार विचारण किए जाने का निवारण नहीं करेगी। }

46. कतिपय वस्तुओं का अधिहरण के दायित्वाधीन होना—²{ (1) जब कभी कोई अपराध, जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है किया जाता है तो वह मादक द्रव्य, सामग्री, भभका पात्र, उपकरण या साधित्र जिसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया है तथा कोई भी पात्र, पैकेज और आवेष्टक जिसमें कोई भी ऐसा मादक द्रव्य, सामग्री, भभका, पात्र, उपकरण या साधित्र पाया जाए या पाए जाए और पात्रों या पैकेजों की ऐसी अन्य अन्तर्वस्तुएं यदि कोई है, जिनमें वह पाया जाए या वे पाए जाए तथा उनको ले जाने में प्रयुक्त पशु, गाड़ी, जलयान, बेड़ा या अन्य प्रवहण भी अधिहरण के दायी होंगे। }

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन किसी भी मादक द्रव्य के साथ या उसके अतिरिक्त विधिपूर्वक आयात किया गया, परिवहन किया गया, विनिर्माण किया गया, कब्जे में रखा गया या बेचा गया कोई भी मादक द्रव्य और कोई भी पात्र, पैकेज और आवरण जिनमें पूर्वोक्तानुसार कोई भी मादक द्रव्य, सामग्रियां, भभका, पात्र, उपकरण या साधित्र पाया जाय या पाये जायें और उन पात्रों या पैकेजों की अन्य अन्तर्वस्तुएं यदि कोई हों, जिनमें वह पाया जाए या वे पाये जाये, और उनको लाने में उपयोग में लाये गये पशुगाड़ी, जलयान, बेड़े या अन्य वाहन उसी प्रकार अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे।

47 अधिहरण का आदेश—³{ (1) जहां मजिस्ट्रेट अपने द्वारा विचारण किए गए किसी मामले में यह विनिश्चय करे कि कोई वस्तु धारा 46 के अधीन अधिहरण के दायी है तो वह उसके अधिहरण का आदेश देगा।

परन्तु जहां धारा 47-क की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन कोई सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त की जाए तो वह अधिहरण के संबंध में यथापूर्वोक्त कोई आदेश जब तक पारित नहीं करेगा जब तक कि धारा 47-क के अधीन कलेक्टर के समक्ष वस्तु की बाबत लंबित कार्यवाहियां निपटा न दी जाए, और यदि कलेक्टर ने धारा 47-क की उपधारा (2) के अधीन उसके अधिहरण का आदेश दिया है, तो मजिस्ट्रेट इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करेगा। }

(2) जबकि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया हो किन्तु अपराधी ज्ञात न हो या पाया न जा सके तो मामले की जांच तथा उसका अवधारणा कलेक्टर द्वारा किया जायेगा जो अधिहरण का आदेश दे सकेगा।

1. आबकारी (संशोधन) अधिनियम 1979 (क्र. 23 सन् 1979) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 (क्र. 22 सन् 2000) द्वारा अन्तःस्थापित, प्रयोज्य तिथि 04.08.2000।
3. आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 (क्र. 22 सन् 2000) द्वारा प्रतिस्थापित, प्रयोज्य तिथि 04.08.2000।

धारा-47(क)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

परन्तु अधिहरण की जाने के लिए आशयित वस्तु का अधिग्रहण किए जाने की तारीख से एक मास का अवसान न हो जाने तक या किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उसके संबंध में किसी अधिकार का दावा करे, और उस साक्ष्य को (यदि कोई हो), जिसे कि वह अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करे, सुने बिना, कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया जायेगा।

परन्तु यह और भी कि यदि प्रश्नाधीन वस्तु शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो, या यदि कलेक्टर की यह राय हो कि विक्रय इसके स्वामी के फायदे के लिए होगा, तो कलेक्टर उसका विक्रय किया जाने का किसी भी समय निर्देश दे सकेगा और इस उपधारा के उपबंध ऐसे विक्रय के शुद्ध आगम को यथा- साध्य निकटतम रूप से लागू होंगे।

¹{ 47-क - अभिगृहीत किए गए मादक-द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि का अधिहरण- जब कभी धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ख) के अंतर्गत आने वाला कोई अपराध किया जाए और अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा ²{पाँच बल्क लीटर} से अधिक हो तो धारा 52 के अधीन सशक्त प्रत्येक अधिकारी, अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) या धारा 52 के अधीन किन्हीं मादक -द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि का अभिग्रहण करते समय अभिगृहीत की गई सम्पत्ति पर एक चिन्ह यह उपदर्शित करते हुए कि वह इस प्रकार अभिगृहीत की गई और बिना असम्यक विलंब के अभिगृहीत की गई और बिना असम्यक विलंब के अभिगृहीत की गई संपत्ति को या तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत उस अधिकारी (जो इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत उस अधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) के समक्ष पेश करेगा जो जिला आबकारी अधिकारी के पद से निम्न पद का न हो या जहाँ इसकी मात्रा या बल्क या कोई अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार किया जाना समीचीन नहीं है, वहाँ वह अभिग्रहण के बारे में समस्त ब्यौरें अन्तर्विष्ट करते हुये उसे एक विस्तृत रिपोर्ट देगा।

(2) जब कलेक्टर का, यथास्थिति, मादक-द्रव्यों, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि के उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर या ऐसे अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह समाधान हो जाए कि धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है, और जहाँ ऐसा अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा ²{पाँच बल्क लीटर} से अधिक है, तो वह लिखित रूप से अभिलिखित किए जाने वाले आधारों पर, इस प्रकार अभिगृहीत किए गए मादक-द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि का अधिहरण करने का आदेश कर सकेगा। वह कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान अधिहरण किए मादक-द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों आदि की अभिरक्षा, व्ययन आदि के लिए अंतरिम प्रकृति का कोई ऐसा आदेश, जैसा कि उस मामले की परिस्थितियों में उसे आवश्यक प्रतीत हो, भी पारित कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन तब तक आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कलेक्टर ने-

(क) अभिगृहीत किए गए मादक-द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि के अधिहरण के लिए कार्यवाहियों को प्रारंभ करने के बारे में, आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किए प्रारूप में कोई प्रज्ञापना, उस अपराध जिसके मद्दे अभिग्रहण किया गया है, पर विचारण की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को न भेज दी हो,

1. आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2000(क्र. 22 सन् 2000) द्वारा अन्तःस्थापित, प्रयोज्य तिथि 04.08.2000 ।

2. अधिनियम क्रमांक 156 दिनांक 30.04.2011 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा-47(क) (3)(ख)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

(ख) उस व्यक्ति को, जिससे ऐसे मादक-द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि को अभिगृहीत किया गया है और उन्हें रखने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को और ऐसे अधिकारी के समक्ष उपसंजात हो सकने वाले किसी अन्य व्यक्ति को जिसका उसमें हित है, लिखित सूचना जारी न कर दी हो,

(ग) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रस्तावित अधिहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान न किया हो;

(घ) उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की तथा उस व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें खण्ड (ख) के अधीन सूचना दी गई है, की सुनवाई न कर ली हो ।

47-ख. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील - (1) धारा 47 क की उपधारा (2) के अधीन पारित अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर संबंधित जिले के कलेक्टर को या राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी (जो इसमें

इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) को अपील प्रस्तुत कर सकेगा, ऐसी अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

(2) अपील प्राधिकारी, अपील का ज्ञापन पेश किये जाने पर, अपीलार्थी को, तथा किसी भी अन्य व्यक्ति को, जिस पर अपील में पारित किए जा सकने वाले आदेश का प्रतिकूल प्रभाव होना संभाव्य है, एक सूचना जारी करेगा।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील में पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् अधिहरण करने के उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करते हुए, उलटते हुए या उसे उपान्तरित करते हुए आदेश पारित करेगा।

परन्तु वह अपील के लंबित रहने के दौरान अधिहरण की गई वस्तुओं की अभिरक्षा, व्ययन आदि के लिए अंतरिम प्रकृति का ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि उसे मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत या उचित प्रतीत हो किन्तु उस अपील को लंबित रहने के दौरान अधिहरण के आदेश का जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, स्थगित करने की शक्ति नहीं होगी।

47-ग अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण -

(1) अपील प्राधिकारी द्वारा धारा 47 - ख की उपधारा (3) के अधीन पारित किए गए अंतिम आदेश से व्यथित अपील का कोई भी पक्षकार ऐसे आदेश से तीस दिन के भीतर उस सेशन खण्ड के भीतर सेशन न्यायालय में केवल ऐसे आदेश की अवैधता के आधार पर ही पुनरीक्षण के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) सेशन न्यायालय, यदि अपील प्राधिकारी के आदेश में कोई अवैधता पाता है तो वह अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उसे उपांतरित कर सकेगा,

परन्तु सेशन न्यायालय को उसके समक्ष पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई याचिका के लंबित रहने के दौरान अपील प्राधिकारी द्वारा पारित अधिहरण के आदेश को स्थगित करने की शक्ति नहीं होगी।

47-घ. कतिपय परिस्थितियों के अधीन न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन -

इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के जिसके मद्दे ऐसा अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय, अधिगृहीत सम्पत्ति का अधिहरण करने के लिए कार्यवाहियों को शुरू करने के बारे में धारा 47-क की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन कलेक्टर की ओर से उसे प्राप्त हुई किसी प्रज्ञापना के पश्चात अभिगृहीत किये गये मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि के व्ययक अभिरक्षा के बारे में कोई भी आदेश नहीं करेगा।

धारा-48

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

1{ 48. अपराधों के शमन करने और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति- (1) आबकारी आयुक्त या कलेक्टर -

(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास धारा 31 के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन रद्द किए जाने या निलंबित किए जाने के दायित्वाधीन है, या जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास है कि उसने धारा 37, धारा 38, धारा 38-क (उन मामलों के सिवाय जिनमें कि किसी मादक द्रव्य में किन्हीं अपायकर औषधियों का अपमिश्रण किया जाना अंतर्वलित है) या धारा 39 के अधीन कोई अपराध किया है, यथास्थिति, ऐसे रद्दकरण या निलंबन के बदले में या ऐसे अपराध के शमन के रूप में **दस हजार रुपये** से अनधिक धनराशि प्रतिग्रहित कर सकेगा, या शास्ति के रूप में **दस हजार रुपये** से अनधिक धनराशि अधिरोपित कर सकेगा, और दोनों में से किसी भी मामले में उन वस्तुओं के, जो अभिगृहीत की गई है, अधिहरण के लिए आदेश दे सकेगा, और

(ख) किसी भी ऐसे मामले में जिसमें कि कोई सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के लिए दायी होने के कारण अभिगृहीत कर ली गई है, किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिहरण आदेश पारित किए जाने के पूर्व, किसी भी समय, उस सम्पत्ति को, उसके ऐसे मूल्य का, जो कि आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा प्राक्कलित किया गया है, संदाय कर दिया जाने पर निर्मुक्त कर सकेगा।

(2) ²{आबकारी आयुक्त या कलेक्टर} को यथास्थिति, ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य या तो दोनों का संदाय कर दिए जाने पर अभियुक्त व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में हो तो, उन्मोचित कर दिया जाएगा अभिग्रहित सम्पत्ति (यादि कोई हो) निर्मुक्त कर दी जाएगी और ऐसे व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

³{48-क. आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए विशेष उपबंध – धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन विहित की गई दस हजार रूपए की शास्ति की सीमा के होते हुए भी आबकारी आयुक्त या कलेक्टर, नियमों या अनुज्ञप्ति की शर्तों के किसी भंग या उल्लंघन की दशा में इस अधिनियम के अधीन ऐसे नियमों में या अनुज्ञप्ति की शर्तों में उपबंधित सीमा तक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।}

49. तंग करने वाली तलाशी, अभिग्रहण, निरोध या गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों पर शास्ति – कोई भी आबकारी अधिकारी या पुलिस भू-राजस्व विभाग का अधिकारी या धारा 52 के अधीन सम्यक् रूप से सशक्त कोई भी अन्य व्यक्ति, जो तंग करने की दृष्टि से या अनावश्यक रूप से –

(क) इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति के प्रयोग करने का आभास कराकर प्रवेश करता है या तलाशी लेता है या प्रवेश कराता या तलाशी लिवाता है, या

(ख) इस अधिनियम के द्वारा अधिग्रहण के दायित्वाधीन किसी भी वस्तु का अधिग्रहण करने या उसके लिए तलाशी लेने के बहाने किसी भी व्यक्ति की जंगम संपत्ति का अभिग्रहण करेगा, या

(ग) किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखता है, उसकी तलाशी लिवाता है या उसे गिरफ्तार करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि **तीन मास तक** की हो सकती, या जुर्माने से, जो **पांच सौ रूपये तक** का हो सकेगा, या दोनों से दण्डणीय होगा।

1. अधिनियम क्रमांक 6 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. अधिनियम क्रमांक 39 सन् 1982 द्वारा अन्तःस्थापित ।
3. अधिनियम क्रमांक 6 सन् 1996 द्वारा दिनांक 16.02.1996 को प्रतिस्थापित ।

धारा-49(क)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

1 { अध्याय 7- 'क' जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति

49-क. – मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा के आयात आदि के लिए या विकृत स्फिरिटयुक्त निर्मित को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयास करने के लिए दण्ड –(1) जो कोई –

(क) मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रह करेगा, उसे अपने कब्जे में रखेगा, उसे बोटलों में भरेगा या बेचेगा, या

(ख) किसी विकृत स्फिरिट या विकृत स्फिरिटयुक्त निर्मित को इस आशय से परिवर्तित करेगा या परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा कि ऐसी स्फिरिट का विकृत स्फिरिटयुक्त निर्मित का उपयोग, चाहे पेय के रूप में या औषधि के तौर पर आंतरिक रूप से किसी अन्य रूप में या किसी अन्य तरीके से मानवीय उपयोग के लिए किया जाए, या

(ग) अपने कब्जे में स्फिरिट या विकृत स्फिरिटयुक्त निर्मित रखते हुए उसकी बाबत वह साशय यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति को कोई स्फिरिटयुक्त स्फिरिट में या किसी विकृत स्फिरिटयुक्त निर्मित में परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए, जो दोनों में से किसी भी दशा में खण्ड (ख)में विनिर्दिष्ट आशय से हो, अनुज्ञात करेगा या जानते हुए उसे ऐसा करने देगा, या

(घ) विकृत स्पिरिट को या ऐसा परिवर्तित विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मित को पेय स्पिरिट के साथ मिश्रित करेगा, और यथास्थिति ऐसी मदिरा, विकृत स्पिरिट, विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मित, स्पिरिट या परिवर्तित विकृत स्पिरिट मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है या वह मनुष्य को क्षति पहुँचाती है या उससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह उस स्थिति में जबकि यथास्थिति ऐसी मदिरा, विकृत स्पिरिट, विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मित या परिवर्तित स्पिरिट—

(एक) मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है— कारावास से जो दो मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(दो) मनुष्य को क्षति पहुँचाती है — कारावास से जो चार मास से कम का नहीं होगा किन्तु चार वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा,

(तीन) मनुष्य की मृत्यु कारित करती है — कारावास से जो दो वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(2) जब किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन द्वितीय या किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो वह परिस्थितियों के सापेक्ष में —

(क) उपधारा (2) के खण्ड (एक) के अधीन — कारावास से जो छह मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो चार वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा,

(ख) उपधारा (2) के खण्ड (दो) के अधीन — कारावास से जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो छह वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा,

1. अधिनियम क्रमांक 39 सन् 1982 अध्याय 7—क प्रतिस्थापित।

धारा-49(क)(2)(ग)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

(ग) उपधारा (2) के खण्ड (तीन) के अधीन— आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से, जो पाँच वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु दस वर्ष तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

49—ख. ¹{* * * }

अध्याय 8

अपराधों का पता लगाना, अन्वेषण तथा विचारण

50. भू-धारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा इत्तिला का दिया जाना— जब कभी किसी भूमि पर इस अधिनियम के उल्लंघन में कोई मादक द्रव्य विनिर्मित या संग्रहीत किया जाय या भांग पौधे की खेती की जाय तब —

(क) ऐसी भूमि का कोई स्वामी या अधिभोगी और ऐसे स्वामी या अधिभोगी का कोई अभिकर्ता, और

(ख) समस्त ग्राम मुखिया, ग्राम लेखापाल, ग्राम चौकीदार और ग्रामों में सरकार का प्रतिपाल्य अधिकरण की ओर से भूमि के राजस्व या लगान का संग्रहण करने के लिए नियोजित समस्त अधिकारी, युक्तियुक्त कारण के अभाव में इस बात के लिए आबद्ध होंगे कि उस तथ्य की सूचना उन्हें उसकी जानकारी प्राप्त होते ही किसी मजिस्ट्रेट या आबकारी पुलिस या राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को यथाशीघ्र दें।

51. विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति— आबकारी आयुक्त या कलेक्टर या कोई भी आबकारी अधिकारी जो किसी ऐसी पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विहित करे, या उस निर्मित सम्यक् रूप से सशक्त कोई भी पुलिस अधिकारी—

(क) किसी भी ऐसे स्थान में जिसमें किसी भी अनुज्ञप्त विनिर्माता द्वारा किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण या संग्रहण किया जाता है, दिन या रात या किसी भी समय प्रवेश कर सकेगा, और

(ख) किसी भी ऐसे स्थान में, जहाँ इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी मादक द्रव्य विक्रय के लिए रखा जाता है, उन घंटों में किसी भी समय जबकि विक्रय अनुज्ञात हो और किसी ऐसे अन्य समय में जबकि वह खुला हो, प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा, और

(ग) लेखाओं तथा रजिस्ट्रों का परीक्षण कर सकेगा और ऐसे स्थान में पाए गए किन्हीं सामग्रियों, भभके, पात्रों, उपकरणों, साधित्रों का या किसी मादक द्रव्य का परीक्षण जांच, माप या तौल कर सकेगा।

52. वारंट के बिना गिरफ्तारी करने, अधिहरण के लिए दायी वस्तु का अभिग्रहण करने तथा तलाशी लेने की शक्ति—²{ (1) कोई भी आबकारी अधिकारी, या कोई भी पुलिस अधिकारी, जो ऐसे पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का न हो, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विहित करे, या इस निमित्त राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त किया गया भू-राजस्व विभाग का कोई भी एक अधिकारी या अधिकारियों का वर्ग ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जैसे राज्य सरकार विहित करे और इस निमित्त राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त कोई भी अन्य व्यक्ति—

1. आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2000 (क्र. 22 सन् 2000) द्वारा विलुप्त।

2. आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2000 (क्र. 22 सन् 2000) द्वारा प्रतिस्थापित, प्रयोज्य तिथि 04.08.2000।

धारा-52(1)(क)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

¹{ (क) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो ²{धारा 23-ए, धारा 34} धारा 35, धारा 36, धारा 36-ए, धारा 36-बी, धारा 36-सी या धारा 37 के अधीन दण्डनीय अपराध करता पाया जाय, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा, और}

(ख) किसी भी मादक द्रव्य या अन्य वस्तु का, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिहरण के लिए दायी है, अधिग्रहण कर सकेगा तथा उन्हें निरुद्ध कर सकेगा,

(ग) किसी भी व्यक्ति को जिस पर, तथा किसी भी जलयान, बेड़ा, यान, पशु पेकेज पात्र या आवेष्टक जिसमें या जिस पर किसी ऐसी वस्तु होने के संदेह का उसके पास युक्तियुक्त कारण है, निरुद्ध कर सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा।}

(2) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अभियुक्त है या जिस पर किसी अपराध को करने का युक्तियुक्त रूप से संदेह है, तथा जो ऐसे अधिकारी के पूछने पर अपना नाम तथा निवास स्थान बताने से इंकार करता है या ऐसा नाम तथा निवास स्थान बताता है, जिसके मिथ्या होने के बारे में विश्वास करने का ऐसे अधिकारी के पास कारण है, तब ऐसे अधिकारी द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा, ताकि उसका नाम और निवास स्थान अभिनिश्चित किया जा सके।

³{ **53 वारंट जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति—** यदि मजिस्ट्रेट इत्तिला मिलने पर या ऐसी जांच (यदि कोई हो) करने के पश्चात् जिसे कि वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण रखता हो कि धारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 36-क, धारा 36-ख, धारा 36-ग, धारा-37, धारा-38, धारा 38-क, धारा 39 या धारा 40 के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है, या किए जाने की संभावना है, तो वह —

(क) किसी भी ऐसे स्थान के तलाशी के लिए, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो, कि कोई भी मादक द्रव्य, भभका, पात्र उपकरण, साधित्र या सामग्रियां, जो ऐसे अपराध के करने के लिए उपयोग में लायी जाती है, या जिनके संबंध में ऐसा अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है, रखी गई या छिपाई गई है, और

(ख) किसी भी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किसी ऐसे अपराध के करने में लगा रहा है, लगा है, या उसके उसमें लगने की संभावना है, वारंट जारी कर सकेगा।

54. वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति – जब कभी, ऐसे श्रेणी से, जिसे शासन अधिसूचना द्वारा विहित करे अनिम्न श्रेणी के किसी भी आबकारी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 36 ए, धारा 36 बी, धारा 36 सी, धारा 37, धारा 38, धारा 38 ए, धारा 39 या धारा 40 के अधीन कोई अपराध किया है, किया जा रहा है, या किये जाने की संभावना है और यह कि तलाशी वारंट, अपराधी के निकल भागने का या अपराध के संबंध में साक्ष्य छिपाने का अवसर दिये बिना अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वह अपने इस विश्वास के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात् –

(क) किसी भी समय दिन में या रात में, किसी भी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकेगा, तथा उसकी तलाशी ले सकेगा और उसमें पाई गई किसी भी ऐसी वस्तु को अभिगृहित कर सकेगा जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन समपहरणीय है,

1. अधिनियम क्रमांक 27 सन् 1965 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1978 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. अधिनियम क्रमांक 27 सन् 1965 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा-54(ख)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

(ख) ऐसे स्थान पर पाये गये किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह यथा पूर्वोक्त ऐसे अपराध का दोषी है, निरुद्ध कर सकेगा उसकी तलाशी ले सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

54-क. – बाधा पहुँचाने या हमला करने के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी – कोई भी आबकारी अधिकारी, जो ऐसे पद श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का न हो, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्य का निष्पादन करने में उसे बाधा पहुँचाये या उस पर हमला करे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा ।

परन्तु इस धारा के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति प्रत्येक की जमानत, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति द्वारा ली जायेगी, यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट के समक्ष, या किसी पुलिस या आबकारी अधिकारी के समक्ष उसकी उपसंजाति के लिये पर्याप्त जमानत निविदत्त कर दी जाए।

55. अन्वेषण के विषय में आबकारी अधिकारियों की शक्ति – ¹[(1) ऐसे पद श्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का तथा ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विहित करे कोई भी आबकारी अधिकारी धारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 36-ए, धारा 38-ए, धारा 39, धारा 40, तथा धारा 40-ए के अधीन अपराधों के संबंध में उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के अध्याय 12 के उपबंधों द्वारा किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रदत्त की गई है ।

परंतु कोई भी ऐसी शक्ति ऐसे निर्बन्धनों तथा उपान्तरणों (यदि कोई हो) के अध्वधीन होगी जैसे कि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करें।]

(2) उक्त संहिता के धारा 156 के प्रयोजनों के लिए वह क्षेत्र, जिसके संबंध में किसी आबकारी अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन सशक्त किया गया है, पुलिस थाना समझा जाएगा और ऐसा अधिकारी उस थाने का भारसाधक अधिकारी समझा जाएगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया कोई भी ऐसा अधिकारी मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के बिना तथा उसके द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों से, इस अधिनियम के विरुद्ध किसी भी अपराध जिसका उसने अन्वेषण किया है, या जो उसको प्रतिवेदित किया गया है संबद्ध या जिसके संबद्ध होने का अनुमान है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आगे की कार्यवाहियों को रोक सकेगा।

¹{ 56. अन्वेषण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट – यदि धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन सशक्त किए गए किसी आबकारी अधिकारी द्वारा अन्वेषण किए जाने पर यह प्रतीत हो कि अभियुक्त के अभियोजन को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है तो अन्वेषण अधिकारी जब तक कि वह धारा 55 की उप-धारा (3) के अधीन कार्यवाही न करे, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 190 के प्रयोजनों के लिए उस न्यायिक मजिस्ट्रेट को की गई पुलिस रिपोर्ट समझा जाएगा जो कि उस मामले की जांच करने या उसका विचारण करने की अधिकारिता रखता हो तथा ²{पुलिस रिपोर्ट} पर अपराधों का संज्ञान करने के लिए सशक्त हो ।

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. अधिनियम क्रमांक 39 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा-57

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

57. आबकारी अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट – जहां कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी अभिग्रहण या तलाशी करता है वहां वह ऐसी गिरफ्तारी, अभिग्रहण या तलाशी के पश्चात् चौबीस घंटे के भीतर, ऐसे गिरफ्तारी अभिग्रहण या तलाशी की समस्त विशिष्टियों की पूर्ण रिपोर्ट अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को करेगा, और जब तक कि धारा 59 के अधीन जमानत प्रतिगृहीत न कर ली जाय, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को या अभिग्रहित की गई वस्तु को विचारण या न्याय निर्णय के लिए, सुविधानुसार पूर्ण शीघ्रता से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा।

57-क पुलिस अभिगृहीत वस्तुओं को प्रभार से लेगी- किसी पुलिस थाने का भारसाधक कोई भी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत समस्त वस्तुओं को, जो उसे परिदत्त की जाय, अपने प्रभार में लेगा और किसी मजिस्ट्रेट या आबकारी अधिकारी के आदेश के लंबित रहने तक, उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा किसी भी आबकारी अधिकारी को, जो पुलिस थाने में ऐसी वस्तुओं के साथ आया हो जिसे उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किया जाय, इस बात की अनुज्ञा देगा कि वह ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुद्रा लगाए तथा उनके या उनमें से नमूना ले । इस प्रकार किए गए समस्त नमूने भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की मुद्रा से मुद्रांकित किए जाएंगे।

¹{ 58. गिरफ्तारियों, तलाशियों, आदि किस प्रकार की जाएगी- इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के वे उपबंध जो गिरफ्तारियों, अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने तलाशियों, सम्मनों, गिरफ्तारी के वारण्टों, तलाशी वारण्टों गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को पेश करने तथा अभिगृहीत की गई चीजों के व्ययन से संबंधित है यथाशक्य उन समस्त कार्यवाहियों को लागू होंगे जो कि इस अधिनियम के अधीन इस संबंध में की गई हो। }

59. वारण्ट के बिना गिरफ्तारी के मामलों में उपसंजाति के लिए प्रतिभूति- ²{(1) धारा 59-क में विनिर्दिष्ट अपराधों के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) के अर्थ के अंतर्गत जमानतीय होंगे। }

(2) जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति या अधिकारी द्वारा, जिसे कि गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ने का प्राधिकार न हो, इस अधिनियम के अधीन वारण्ट पर गिरफ्तार न किया जाकर अन्यथा गिरफ्तार किया गया हो, तो वह—

(क) ऐसे निकटतम आबकारी अधिकारी के समक्ष जिसे कि गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ने का प्राधिकार हो, या

(ख) पुलिस थाने के निकटतम भारसाधक अधिकारी के समक्ष, जो भी निकटतम हो पेश किया जायेगा या भेजा जायेगा।

(3) जब कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन वारण्ट पर गिरफ्तार न किया जाकर अन्यथा गिरफ्तार किया गया हो, जमानत देने के लिए तैयार हो, और ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे कि गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ने का अधिकार हो, गिरफ्तार किया गया हो, या उपधारा (2) के अनुसार उसके समक्ष पेश किया गया हो, तो वह जमानत पर या उसको छोड़ने वाले अधिकारी के विवेक पर, उसके स्वयं के बंधपत्र पर छोड़ दिया जावेगा।

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2000(क्र. 22 सन् 2000) द्वारा प्रतिस्थापित, प्रयोज्य तिथि 04.08.2000।

धारा—59 (4)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

¹{ (4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 441 से 444 तक के तथा धारा 446 एवं 449 के उपबन्ध, यथाशक्य, ऐसे मामले में लागू होंगे जिसमें इस धारा के अधीन जमानत प्रतिग्रहीत कर ली जाये या बन्धपत्र ले लिया जाय। }

²{ 59—क. अधिनियम के अधीन कतिपय अपराध अजमानतीय होंगे— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) या इस अधिनियम की धारा 59 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(एक) धारा 49—क के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति के संबंध में या ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारण कर रहा है और जो धारा 34 की उपधारा (1) खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध में अभियुक्त है, के संबंध में और जहाँ ऐसे अपराध के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा ³{पाँच बल्क लीटर} से अधिक है किसी भी न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा,

(दो) धारा 49—क के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारण कर रहा है और जो धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड(क) या खण्ड (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध में अभियुक्त है, को जहाँ ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा ³{पाँच बल्क लीटर} से अधिक हो, जमानत पर या स्वयं उसके बंधपत्र पर तब निर्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो और उस मामले में ऐसे आवेदन का लोक अभियोजक द्वारा विरोध किए जाए तथा जब तक कि न्यायालय का यह समाधान नही हो जाए कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जब वह जमानत पर हो तब यह संभावना नहीं है कि वह कोई अपराध करेगा।

परन्तु कोई भी न्यायालय ऐसे व्यक्ति को, जहाँ वह धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसमें उस अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा ³{पाँच बल्क लीटर} से अधिक है, 60 दिन से अधिक की

कुल कालावधि के लिए तथा जहां वह धारा 49—क के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, वहाँ 120 दिन से अधिक की कुल कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध रखने के लिए कोई आदेश पारित नहीं करेगा तथा यथास्थिति, 60 दिन या 120 दिन की ऐसी कालावधि का अवसान हो जाने पर और रिपोर्ट या शिकायत न किए जाने कि दशा में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ देगा,

(तीन) जमानत मंजूर करने के लिए खण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट परिसीमा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) या जमानत मंजूर करने से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विहित परिसीमाओं के अतिरिक्त है।

60. * * *

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2000(क्र. 22 सन् 2000) द्वारा अन्तः स्थापित, प्रयोज्य तिथि 04.08.2000 ।
3. अधिनियम क्रमांक 156 दिनांक 30.04.2011 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1979 द्वारा निरसित किया गया ।

धारा—61

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

¹{ 61. अभियोजनों का निर्बन्धन — ²{ (1) कोई भी न्यायालय —

(क) धारा 37, धारा 38, धारा 38—क, धारा 39 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान कलेक्टर के या जिलाधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी ऐसे आबकारी अधिकारी के, जिसे कलेक्टर द्वारा निमित्त प्राधिकृत किया जाए, परिवाद या रिपोर्ट पर ही, और

(ख) इस अधिनियम की धारा 49 से भिन्न किसी धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान किसी आबकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के परिवाद या रिपोर्ट पर ही, करेगा अन्यथा नहीं। }

(2) राज्य सरकार की विशेष मंजूरी के सिवाय, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट या उसके अधीन के किसी नियम या आदेश के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियोजन उस तारीख से, जिसको कि उस अपराध का किया जाना अभिकथित है, छः मास के भीतर संस्थित न किया गया हो।

¹{ 61—क. राज साक्षी हो जाने पर अभियुक्त को क्षमादान — जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाय, तब अपराध की जांच या विचारण करने वाला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो कि उसके द्वारा लेखबद्ध किये जायेगे, किसी अभियुक्त व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकेगा कि वह अपराध से संबंधित समस्त तथ्यों को पूर्ण और सत्य प्रकट कर दे। }

³{अध्याय 8—क

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध

61— ख. परिभाषाएं — इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अनुसूचित — क्षेत्र” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार अनुसूचित क्षेत्र,

(ख) "ग्राम-पंचायत" तथा "ग्राम सभा" का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) में उनके लिए दिया गया है,

(ग) अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसा जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

61-ग. कार्यक्षेत्र तथा विस्तार- इस अध्याय के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों को लागू होंगे और यदि अधिनियम में कोई बात प्रतिकूल हो, तो इस अध्याय के उपबंध अभिभावी होंगे।

1. आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1979 (क्र. 23 सन् 1979) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1982 (क्र. 39 सन् 1982) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1998 द्वारा अन्तःस्थापित, प्रयोज्य तिथि 07.01.1998 ।

धारा-61(घ)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

61-घ, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिनियम के कतिपय उपबंधों से छूट-

(1) इस अधिनियम के उपबंध आसवन द्वारा देशी मदिरा के विनिर्माण उसके कब्जे तथा उपभोग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे ।

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुये आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे, अर्थात्-

(एक) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोह पर उपभोग के प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा,

(दो) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जाएगा,

{तीन} इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा को कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी भी समय 5 लीटर होगी। }

परन्तु ग्राम सभा देशी मदिरा के कब्जे की सीमा को कम कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण- गृहस्थी से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्तियों का कोई समूह जो एक ही घरेलू इकाई के सदस्यों के रूप में संयुक्त रूप से निवास तथा भोजन करता है।

61.ड. मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिषिद्ध करने की ग्राम पंचायत की शक्ति - (1) ग्राम सभा को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों के विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, विक्रय और उपभोग को विनियमित करने तथा प्रतिषिद्ध करने की शक्ति होगी ।

परन्तु ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया प्रतिबंध का कोई आदेश ऐसी विनिर्माण शाला को लागू नहीं होगा जो किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण में लगी हुई है और इस अध्याय के उपबंधों के प्रवृत्त होने के पूर्व स्थापित की गई हो।

(2) ग्राम सभा के क्षेत्रीय अधिकारिता से भीतर समाविष्ट किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिये कोई नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जाएगी और मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए कोई नया निकास नहीं खोला जाएगा।

(3) यदि कोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र में किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण, कब्जे, विक्रय और उपभोग को प्रतिषिद्ध करती है, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे—

(क) ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों की कोई भी नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जाएगी,

(ख) किसी मादक द्रव्य के विक्रय के लिए कोई नया निकास नहीं खोला जाएगा और विद्यमान निकास, यदि कोई हो, प्रतिषेध के आदेश के जारी होने के ठीक पश्चात् आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से बंद कर दिए जायेंगे,

(ग) कोई भी व्यक्ति, किसी ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, विक्रय या उपभोग नहीं करेगा।

1. छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2001(क्र.2 सन् 1915) द्वारा प्रतिस्थापित, प्रयोज्य तिथि 19.05.2001

धारा-61(च)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

61-च. ग्राम सभा के विनिश्चयों का प्रवर्तन- इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम सभा द्वारा किए गए विनिश्चयों तथा पारित किए गए आदेशों को ग्राम पंचायत द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी किया जाएगा, जहां राज्य सरकार के प्रवर्तन अभिकरण की सहायता आवश्यक समझी जाए, वहाँ ग्राम पंचायत, क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी ऐसे अधिकारी के पास जाने की कार्यवाही करेगी जो अपेक्षित सहायता देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

62. नियम बनाने की शक्ति- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी—

(क) आबकारी अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य विहित करने,

(ख) धारा 7 के खण्ड (छ) के अधीन मुख्य राजस्व प्राधिकारी, आबकारी आयुक्त या कलेक्टरों द्वारा किन्हीं भी शक्तियों या कर्तव्यों के प्रत्यायोजन का विनियमन करने,

(ग) इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गए किसी नियम के अधीन चाहे मूलतः या अपील में पारित किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील किन मामलों में या मामलों के किन वर्गों में तथा किन प्राधिकारियों को की जाएगी या किन प्राधिकारियों द्वारा ऐसे आदेश का पुनरीक्षण किया जा सकेगा घोषित करने और अपीलों और पुनरीक्षणों को प्रस्तुत करने के लिए समय और रीति, तथा उन पर की जाने वाली कार्यवाही विहित करने,

(घ) किसी भी मादक द्रव्य का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा, प्रदाय, या भण्डारकरण को या भाग के पौधे की खेती का विनियमन करने तथा अन्य विषयों के साथ-साथ ऐसे नियमों द्वारा—

(एक) ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्षों में च्यावन, ऐसे वृक्षों से ताड़ी निकालने, उन्हें चिन्हित करने तथा ऐसे चिन्हों का अनुरक्षण करने का विनियमन किया जा सकेगा,

(दो) उस प्रक्रिया को घोषित कर सकेगी, जिसके द्वारा स्पिरिट को विकृतिकरण अभिनिश्चित किया जाएगा,

(तीन) अभिकरण के माध्यम से या अपने स्वयं के अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन स्पिरिट को विकृत करवा सकेगी।

1{ (घ-1) संपूर्ण राज्य में या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, महुआ के फूलों का आयात, निर्यात, परिवहन, संग्रह, कब्जा, प्रदाय, भण्डारकरण या विक्रय का विनियमन करने, उनके लिए अनुज्ञप्तियां और अनुज्ञापत्र विहित करने,}

(ड.) उन कालावधियों तथा स्थानों का, जिनके लिए तथा उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों को विनियमित करने जिन्हें किसी भी मादक द्रव्य के थोक या फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की जाएंगी तथा ऐसी अनुज्ञप्तियों की संख्या को विनियमित करने, जो किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रदान की जाएगी,

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1958 द्वारा अन्तः स्थापित।

धारा-62(2)(च)

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

(च) किसी भी स्थान में ऐसे विक्रय के लिए किसी अनुज्ञप्ति के प्रदान किए जाने के पूर्व अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा अभिनिश्चित किए जाने वाले विषय विहित करने,

1{ (छ) किसी शुल्क या फीस या कर शास्ति की रकम, उसके संदाय के समय, स्थान तथा रीति का विनियमन करना,}

(ज) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा, वह प्रारूप जिसमें, और वे निर्बन्धन तथा शर्तें जिन पर, तथा जिनके अधीन न कोई भी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास प्रदान किया जाएगा, विहित करने तथा अन्य नियमों के साथ-साथ ऐसे नियमों द्वारा-

(एक) ऐसी कालावधि जिसमें कोई भी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास प्रवृत्त बना रहेगा, नियत करना,

(दो) किसी ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के संबंध में फीसों का भुगतान या देय फीस नियत करने की रीति विहित करना,

(तीन) किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के धारकों द्वारा उनकी शर्तों के पालन के लिए निक्षिप्त की जाने वाली प्रतिभूति की रकम विहित करना,

(चार) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा रखे जाने वाले लेखाओं तथा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों को विहित करना, और

(पाँच) अनुज्ञप्तियों में भागीदारी का या उनके अंतरण का प्रतिषेध या विनियमन करना,

2{ (झ) किसी फुटकर मादक द्रव्य की दुकान के खोलने, बंद करने या स्थानांतरण के बारे में सलाह देने के संबंध में स्थानीय जनमत अभिनिश्चित करने के लिए उपाय विहित करना तथा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित जिला योजना समिति की शक्तियों विहित करना।}

(ञ) उपयोग के अनुपयुक्त समझे गये किसी भी मादक द्रव्य को नष्ट करने या उसका, अन्यथा व्ययन करने के हेतु उपबंध करने के लिए,

(ट) अधिहरण की गई वस्तुओं के व्ययन का विनियमन करने के लिए,

(ठ) साक्षियों के व्ययों को मंजूर करने का तथा ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर कि इस अधिनियम के अधीन अपराध आरोपित किये गये हो और जो बाद में छोड़ दिये गये हों, प्रतिकर मंजूर करने का विनियमन करने के लिए, और

(ड) दूर से आने वाले साक्षियों को समन करने की आबकारी अधिकारियों की शक्ति का विनियमन करने के लिए,

(ढ) इस अधिनियम के अधीन जुर्माना तथा अधिहरणों के आगम में से अधिकारियों को इत्तिला देने वालों को तथा अन्य व्यक्तियों को इनामों के संदाय का विनियमन करने के लिए ।

(3) नियम बनाने की वह शक्ति, जो कि इस धारा द्वारा प्रदान की गई है, इस शर्त के अधीन है कि उपधारा (2)(क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (झ), (ठ) तथा (ड) के अधीन बनाये गये नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जायेंगे ।

1. अधिनियम क्रमांक 39 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. आबकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000(क्र. 24 सन् 2000) द्वारा अंतःस्थापित ।

धारा-63

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

परंतु कोई भी ऐसे नियम पूर्व प्रकाशन के बिना बनाये जा सकेंगे यदि राज्य सरकार का यह विचार हो कि वे तुरन्त प्रवृत्त कर दिये जाने चाहिये ।

63. नियमों तथा अधिसूचनाओं का प्रकाशन – इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम तथा जारी की गई अधिसूचनाएं राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी, और वे ऐसे प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से, जैसा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रभावशील होंगी ।

64. सरकारी शोध्यों की वसूली- (1) निम्नलिखित धन, अर्थात्-

(क) समस्त आबकारी राजस्व,

(ख) किसी व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप कलेक्टर द्वारा किसी अनुदान को अपने प्रबंध के अधीन के लिए जाने या उसके द्वारा उसका विक्रय किये जाने के कारण प्रोद्भूत कोई हानि, और

{ (ग) संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का संख्या 9) की धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, ऐसी समस्त रकम, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गए नियमों के किसी उपबंध के अनुसार, आबकारी राजस्व से संबंधित किसी संविदा के कारण किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को शोध्य हो, और वह समस्त रकम जो किसी ऐसे बंधपत्र या लिखित की शर्तों का भंग होने पर चुकाई जाना हो जिसके द्वारा कोई व्यक्ति कोई कर्तव्य या कार्य करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है या यह वचनबद्ध करता है कि वह और उसके सेवक और अभिकर्ता कोई कार्य से प्रविरत रहेंगे । }

उस व्यक्ति से, जो प्राथमिकतः उसके संदाय के लिए है या उसके प्रतिभू (यदि कोई हो) से उसकी जंगम संपत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा या भू धारक से भू-राजस्व की वसूली की किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा या भूमि के कृषकों या उनके प्रतिभूओं से वसूल कर सकेगा ।

(2) जब कोई अनुदान कलेक्टर द्वारा अपने प्रबंध के अधीन ले लिया जाए, या उसके द्वारा उसका पुनः विक्रय कर दिया जाए, तो कलेक्टर पट्टेदार या समनुदेशिनी से व्यतिक्रमी को शोध्य कोई भी धन उप-धारा (1) द्वारा प्राधिकृत किसी भी रीति में वसूल कर सकेगा ।

65. व्यतिक्रमियों की संपत्ति पर सरकार का धारणाधिकार- इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या पट्टाधारण करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में, उसकी समस्त आसवनी मद्य निर्माण शाला, भण्डागार या दुकान, भवन, फिटिंग्स या सांघित्र तथा किसी भी आसवनी, मद्य निर्माण-शाला, भण्डागार या दुकान के लिए परिसरों में या उन पर धारित मादक द्रव्य का समस्त स्टॉक या उसके विनिर्माण की सामग्रियाँ, आबकारी राजस्व के किसी भी दावे की या ऐसे व्यतिक्रम के द्वारा सरकार को हुई किन्हीं भी हानियों के लिए किसी भी दावे की तुष्टि में कुर्क किए जाने और ऐसे दावे की तुष्टि हेतु विक्रय किए जाने के दायी होंगे जो विक्रय के आगमों पर प्रथम भाग होगा ।

66. व्यक्तियों या मादक द्रव्यों को अधिनियम के उपबंध से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा या तो पूर्णतः या भागतः तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह

विहित करना ठीक समझे, किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी भी मादक द्रव्य को, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त या किन्हीं भी नियमों से, या तो सम्पूर्ण राज्य में या उसमें समाविष्ट किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट कालावधि या अवसर के लिए पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी।

1. अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1982 द्वारा जोड़ा गया।

धारा-67

छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915

67. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण – इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

68. वादों की परिसीमा – सरकार के विरुद्ध या किसी भी आबकारी, पुलिस या भू-राजस्व अधिकारी के विरुद्ध ऐसी किसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम के अनुसरण में की गई हो या जिसका उसके द्वारा इस प्रकार किया जाना अभिकथित रहा हो, कोई भी वाद नहीं चलाया जाएगा, जब तक परिवादित कार्य की तारीख से छह मास के भीतर ऐसा वाद संस्थित न किया गया हो।

69. अधिनियमितियों का निरसन— अनुसूची में वर्णित अधिनियमितियों को एतद् द्वारा उस सीमा तक निरसित किया जाता है, जो अनुसूची के कॉलम चार में विनिर्दिष्ट की गई है।

प्रथम अनुसूची

(धारा 69 देखें)

अधिनियमितियों जो निरसित की गई

वर्ष (1)	क्रमांक (2)	संक्षिप्त नाम (3)	निरसन की सीमा (4)
1863	16	उत्पाद-शुल्क (स्पिरिट) अधिनियम, 1863	उस सीमा तक, जहां तक कि ऐसा निरसन नहीं हुआ है
1894	8	दि इंडियन टेरिफ एक्ट, 1894	धारा 6
1896	12	दि एक्साइज एक्ट, 1896	उस सीमा तक जहां तक कि ऐसा निरसन नहीं किया गया है
1906	7	एक्साइज (एम्पेडमेंट) एक्ट, 1906	संपूर्ण

द्वितीय अनुसूची

(धारा 36-घ देखिए)

सेण्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार एक्साइज एक्ट, 1915 की धारा 34 तथा धारा 36 के अधीन अपराधों को करने से प्रविरत रहने के लिए बंध-पत्र

यतः मैं (नाम) (स्थान) का निवासी जिससे यह अपेक्षित किया गया है कि अवधि के लिए सेण्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार एक्ट, 1915 की धारा 34 तथा धारा 36 के अधीन अपराधों को करने से प्रविरत रहने हेतु बंध-पत्र लिख दूं।

अतः मैं उक्त अवधि के दौरान कोई ऐसी अपराध न करने के लिए एतद्द्वारा, अपने को आबद्ध करता हूँ और इसमें व्यतिक्रम किए जाने की दशा में, एतद्द्वारा अपने को इस बात के लिए आबद्ध करता हूँ कि मुझसे रुपये की राशि राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगी।

तारीख सन्

हस्ताक्षर

जहां बंध-पत्र प्रतिभुओं सहित निष्पादित किया जाना है, वहां उसमें निम्नलिखित को जोड़ा जाए—

हम (1) (नाम) जो स्थान निवासी तथा (2) (नाम)

..... जो स्थान के निवासी है, उपरिनामित

..... (बंघ-पत्र निष्पादनकर्ता का नाम) के लिए अपने को इस हेतु प्रतिभू घोषित करते हैं कि वह उक्त अवधि के दौरान सेण्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार एक्ट, 1915 की धारा 34 तथा धारा 36 के अधीन हम स्वयं को एतद्द्वारा संयुक्त और पृथकतः इस बात के लिए आबद्ध करते हैं कि रुपये की राशि राज्य सरकार को समपहत हो जाएगी ।
तारीख सन्

.....
हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ शासन वित्त तथा योजना विभाग {वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग}
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 02.02.2006

क्रमांक एफ-10/1/2006/वाकर(आब.)/पॉच(5) - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ड), (च) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14-पॉच-पृ.आ., तारीख 7 जनवरी, 1960 द्वारा प्रकाशित रूल्स आफ जनरल एप्लीकेशन में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसका धारा-62 की धारा उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र" में पूर्व में प्रकाशन, दिनांक 18 सितम्बर, 2000 को किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 1 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

1. दुकानों की अवस्थिति -

(1) किसी फुटकर दुकान को परिसर में मदिरा का उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति देते समय निम्नलिखित स्थितियों पर विचार किया जाएगा, यदि दुकान :-

(क) किसी मिल, कारखाने या अन्य स्थान के, जहाँ श्रमिकों का विशाल समूह नियोजित हो, आसपास में है, तो मिल के स्वामी या श्रमिकों के ऐसे नियोजक को ऐसी दुकान खोलने के प्रस्ताव पर उनकी आपत्तियों को कथित करने का अवसर दिया गया है ।

(ख) किसी धार्मिक या किसी शैक्षणिक संस्था, किसी अस्पताल, अनुसूचित जातियों के सदस्यों की किसी कालोनी, किसी श्रमिक कालोनी या किसी बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, किसी राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी राज्य राजमार्ग, ¹पेट्रोल पम्प के निकट है या जहाँ राज्य सरकार की मंजूरी अभिप्राप्त की गई है, सिवाय इसके कि, जहाँ ऐसी दुकान, **ऐसे स्थान से 50 मीटर या उससे अधिक की दूरी पर स्थित है ।**

(2) दुकान की स्थिति ऐसी होगी कि, उसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति देखे जाने से बच न सके, परन्तु वह ऐसी सुस्पष्ट भी नहीं होगी कि, गुजरने वाले व्यक्ति उस ओर ध्यान देने को बाध्य हो जाए ।

(3) यदि ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के पश्चात् किसी भी समय उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई संस्था (शैक्षणिक या धार्मिक), अस्पताल या बस स्टेण्ड आदि, उस दुकान से पचास मीटर या उससे कम की दूरी के भीतर अस्तित्व में आते हैं, तो परिसर में उपभोग के लिए अनुज्ञप्त कोई मदिरा दुकान, उप नियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरी के भीतर स्थित नहीं समझी जाएगी ।

परन्तु इस नियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :-

(क) ऐसी दुकान को, जो तारीख 31 मार्च, 2001 को पिछले तीन वर्षों से वर्तमान स्थल पर विद्यमान रही हों ।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनों के लिए :-

- (क) "शैक्षणिक संस्था" से अभिप्रेत है किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबंधित या मान्यता प्राप्त कोई पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक या सेकण्डरी स्कूल और विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई महाविद्यालय, किन्तु इसमें कोचिंग संस्था सम्मिलित नहीं है ।
- (ख) "धार्मिक संस्था" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जो किसी धर्म की प्रोन्नति के लिए हो, और उसमें सम्मिलित है, ऐसा मंदिर, मठ, मस्जिद, गिरजाघर या सार्वजनिक धार्मिक पूजा का अन्य स्थान, **जिनका पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास द्वारा प्रबंध किया जाता हो**, या उसके स्वामित्व में हो और उसमें अन्य ऐसी धार्मिक संस्थाएँ सम्मिलित होगी, जैसा कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ।
- (ग) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दूरी का माप, दुकान के प्रवेश के मध्य बिन्दु से ऐसे निकटतम मार्ग से किया जाएगा, जिससे कोई पदाति (पिडेसट्रिअन) :-
(एक) यदि कोई अहाता दीवार है तो संस्था के निकटतम द्वार के मध्य बिन्दु तक और यदि कोई अहाता दीवार नहीं है तो संस्था के निकटतम प्रवेश के मध्य बिन्दु तक, या
(दो) यदि कोई अहाता दीवार है तो छत्तीसगढ़ राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेण्ड, स्टेशन या डिपो के निकटतम द्वार के मध्य बिन्दु तक और यदि कोई अहाता दीवार नहीं है तो, ऐसे बस स्टेण्ड, स्टेशन या डिपो की सीमा के निकटतम बिन्दु तक साधारणतः पहुँचता है ।
- (घ) "बस स्टेण्ड" से अभिप्रेत है यथास्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क परिवहन निगम या नगर पालिक निगम या किसी अन्य स्थानीय निकाय का बस स्टेण्ड,
- (ङ) "अस्पताल" से अभिप्रेत है राज्य या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी पूर्व (चेरीटेबल) संस्था द्वारा चलाया जा रहा कोई अस्पताल या उपचर्या गृह जहाँ 10 रोगियों की भर्ती तथा उपचार के लिए कम से कम 10 बिस्तरों की सुविधाएँ उपलब्ध हों ।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,**